दक्ष®

राजस्थान
लोक सेवा आयोग,
अजमेर द्वारा आयोजित

21 JULY 2023
को जारी नवीनतम
पाठ्यक्रमानुसार

A Complete
Book on

असिस्टैंट प्रोफेसर

Paper - III

Rajasthan G.K.

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

- 22 सितम्बर, 2021 का प्रश्न-पत्र सम्पूर्ण हल एवं व्याख्या सहित
- 24 अप्रैल, 2016 का प्रश्न-पत्र सम्पूर्ण हल एवं व्याख्या सहित

Buy Online at :
WWW.DAKSHBOOKS.COM

M.K. Yadav

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

- ❖ **कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा** सम्पूर्ण हल पेपर (व्याख्या सहित) 22-09-2021 को आयोजित ... P-1–P-13
- ❖ **कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा** सम्पूर्ण हल पेपर (व्याख्या सहित) 24-04-2016 को आयोजित P-14–P-22

Part-A : राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं धरोहर [History, Art, Culture, Literature and Heritage of Rajasthan] 1–192

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत [Important Sources of History of Rajasthan] 1
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 6

2 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ [Ancient Civilization of Rajasthan] ..... 7 (with special reference to Mesolithic Nimbahera, Bagor & Mandia)
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 12

3 राजस्थान के प्रमुख राजवंश [Major Dynasties of Rajasthan] 14
- ❖ जनपदकालीन राजस्थान 14
- ❖ मगध साम्राज्य के अधीन राजस्थान 15
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 16
- ❖ गुर्जर-प्रतिहार राजवंश 17
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 18
- ❖ गुहिल-सिसोदिया राजवंश 18
- ❖ वागड़ के गुहिल 25
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 25
- ❖ प्रतापगढ़ के सिसोदिया 25
- ❖ शाहपुरा के सिसोदिया 25
- ❖ राठौड़ राजवंश 26
- ❖ बीकानेर के राठौड़ 29
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 32
- ❖ चौहान-राजवंश 32
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 37
- ❖ कच्छवाह राजवंश 38
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 41
- ❖ राजस्थान के अन्य प्रमुख राजवंश 42
- ❖ धौलपुर का जाट राजवंश 42
- ❖ भरतपुर का जाट राजवंश 42
- ❖ करौली का यादव राजवंश 42
- ❖ जैसलमेर का भाटी राजवंश 43

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

❖ परमार एवं चावड़ा राजवंश 43
❖ टोंक का मुस्लिम राजवंश 44
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 44

4 मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध
[Political Resistance of Rajput Rulers against Muslim Power] 45
(Special reference to Rattan Singh, Hammir, Kanhad dev & Maldev, Chandrasen & Pratap)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 53

5 मध्यकालीन राजवंशों की प्रशासनिक व राजव्यवस्था
[Administrative and Polity of Medieval Dynasties] 56
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 62

6 मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति एवं सूफी आंदोलन
[Bhakti Movement and Sufism in Medieval Rajasthan] 63
(Special reference to Mira, Dadu, Dhanna, Pipa, Haridas, Raidas, Khawaja Moin-ud-din Chishty & Sects)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 68

7 राजस्थान के लोक-देवता एवं देवियाँ
[Folk Gods and Goddesses of Rajasthan] 69
(Special emphasis to be paid to teachings of Ramdevji, Gogaji, Tejaji, Pabuji, Mallinath, Jasnath) 69
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 72
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 75

8 राजस्थान में राजनीतिक जागरण
[Political awakening in Rajasthan] 76
(Contribution of Women in Social and Political awakening) 76
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 82

9 राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन
[Freedom Movement in Rajasthan : 1857] 83
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 86

10 राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन
[Peasants and Tribal Movements in Rajasthan] 88
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 95

11 राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन
[Prajamandal Movement in Rajasthan] 96
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 100

12 लोक संस्कृति : मेले एवं त्योहार
[Folk Culture : Fairs and Festivals] 101
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 106

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

13 राजस्थान में चित्रकला के विभिन्न स्कूल
[Different School of Painting in Rajasthan] 107
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 113

14 राजस्थानी लोक कथाएँ एवं लोक गाथाएँ
[Rajasthani Folk Tales and Gathas] 114
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 116

15 लोक गीत, लोक नृत्य/नाट्य, लोक संगीत एवं वाद्ययंत्र
[Folk Songs, Folk Dances, Folk Music & Instruments] 117
❖ राजस्थान में लोक संगीत 117
❖ जन सामान्य के लोक गीत 117
❖ व्यवसायिक जातियों के लोक गीत 119
❖ राजस्थान के क्षेत्रीय लोक गीत 120
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 120
❖ राजस्थान में लोक वाद्य 121
❖ सुषिर वाद्य यंत्र 122
❖ तत् वाद्य यंत्र 122
❖ घन वाद्य यंत्र 123
❖ अवनद्ध वाद्य यंत्र 123
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 124
❖ राजस्थान के लोक नाट्य 124
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 126
❖ राजस्थान के लोक नृत्य 127
❖ राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य 127
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 129

16 राजस्थान में वस्त्र एवं आभूषण
[Dress and Ornaments in Rajasthan] 130
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 134

17 राजस्थान में हस्तशिल्प
[Handicrafts in Rajasthan] 135
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 139

18 राजस्थानी भाषा : उत्पत्ति और विकास
[Rajasthani Language : Origin and Development] 140
(Main Dialects & Region; Rajasthani Scripts : Mudia & Devnagari)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 144

19 राजस्थानी साहित्य : इसका उद्भव
[Rajasthani Literature : Its Evolution] 145
(Famous Writers and their Works)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 151

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

20 पर्यटन एवं राजस्थान : विरासत, पर्यटन नीति व दृष्टिकोण
[Tourism and Rajasthan : Heritage, Tourism Policy and Vision] 152
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 169

21 राजस्थान की स्थापत्य कला
[Architecture of Rajasthan] 171
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 184

22 राजस्थानी विरासत के ऐतिहासिक स्थल
[Historical Places of Rajasthani Heritage] 186
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 192

Part-B : राजस्थान का भूगोल [Geography of Rajasthan] 193–300

1 राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश
[Physiographic regions of Rajasthan] 193
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 203

2 राजस्थान में नदियाँ एवं झीलें
[Rivers and Lakes in Rajasthan] 205
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 217

3 राजस्थान की जलवायु
[Climate of Rajasthan] 218
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 223

4 राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा संसाधन
[Natural Vegetation and Soil Resources in Rajasthan] 225
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 232

5 राजस्थान में खनिज संसाधन
[Mineral Resources in Rajasthan] 234
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 239

6 राजस्थान के ऊर्जा संसाधन : परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
[Energy Resources of Rajasthan : Conventional & Non-Conventional] 241
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 246

7 राजस्थान की जनसंख्या : विशेषताएँ
[Population of Rajasthan : Characteristics] 248
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 257

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

8 राजस्थान में पशु सम्पदा
[Livestock in Rajasthan] 259
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 265
9 राजस्थान में जैव विविधता एवं उसका संरक्षण
[Biodiversity and Its Conservation in Rajasthan] 266
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 272
10 राजस्थान में प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं वितरण
[Production & Distribution of Major Crops in Rajasthan] . 273
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 278
11 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ
[Irrigation Projects in Rajasthan] 280
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 288
12 राजस्थान के प्रमुख उद्योग
[Major Industries of Rajasthan] 289
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 293
13 सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय समस्याएँ, आपदा प्रबंधन और महामारी
[Drought & Famines, Desertification, Environmental Problems Disaster Management & Pandemics] 295
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 299

Part-C : राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
[Governor, Chief Minister and Council of Ministers] 301–374

1 राज्यपाल
[Governor] 301
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 307
2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
[Chief Minister and State Council of Ministers] 309
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 313
3 राज्य विधानसभा
[State Legislative Assembly] 315
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 323
4 राजस्थान का उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्रणाली
[High Court & Judicial System of Rajasthan] 325
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 328

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

5 राजस्थान के विभिन्न आयोग एवं संस्थाएँ
[Various Commissions and Institutions of Rajasthan] 329
- ❖ राजस्थान लोक सेवा आयोग [Rajasthan Public Service Commission] 329
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 331
- ❖ राज्य मानवाधिकार आयोग [State Human Rights Commission] 332
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 334
- ❖ राज्य निर्वाचन आयोग [State Election Commission] 335
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 337
- ❖ राजस्थान में लोकायुक्त [Lokayukta in Rajasthan] 337
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 339
- ❖ राज्य सूचना आयोग [State Information Commission] 340
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 341
- ❖ राज्य वित्त आयोग [State Finance Commission] 341
- ❖ राजस्थान राज्य महिला आयोग [Raj. State Women's Commission] .. 342
- ❖ महालेखाकार [Auditor General] 343
- ❖ राज्य का महाधिवक्ता 343
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 343

6 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ)
[Chief Secretary, Government Secretariat, Chief Minister's Office (CMO)] 344
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 348

7 संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रशासन
[Divisional Commissioner & District Administration] 349
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 354

8 पंचायती राज और शहरी स्थानीय-स्वशासन संस्थाएँ
[Institutions of Panchayati Raj and Urban Local-Self Government] 356
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 362

9 सरकारी नीतियाँ और अधिकार आधारित नागरिकता
[Government Policies and Right based Citizenship] 364
(RTI, Guaranteed Delivery of Public Services, Citizen's Charters, Social Audit, jan Soochna Portal, Rajasthan Sampark Portal)
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 374

Part-D : राजस्थान की अर्थव्यवस्था [Economy of Rajasthan] 375–448

1 राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ
[Characteristics of State Economy] 375
(Occupatinal Distribution)
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 382

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

2 राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनागत प्रवृति
[Compositional Trend of State Domestic Product] 384
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 389

3 कृषि क्षेत्र
[Agriculture Sector] 390
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 400

4 राजस्थान में पशु सम्पदा
[Livestock in Rajasthan] 401
(Trends in Livestock Population, Milk Production in Rajasthan)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 404

5 राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य
[Industrial Outlook in Rajasthan] 405
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 410

6 सेवा क्षेत्र
[Service Sector] 412
(Primary Education, Development in Recent Years, Health Programmes of State Government, Mid-Day Meal, Indira Rasoi Yojna)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 425

7 आधारभूत संरचना का विकास
[Infrastructure Development] 426
(Progress in National & State Highways, Power Generation, Recent Solar Power Projects)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 432

8 राजस्थान से निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ
[Major Items of Exports from Rajasthan] 433
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 435

9 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ
[Socio-Economic Welfare Schemes in the State] 436
(Regional Economic Inequalities in Rajasthan)
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 448

PART-A : राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं धरोहर [HISTORY, ART, CULTURE, LITERATURE AND HERITAGE OF RAJASTHAN]

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत [Important Sources of History of Rajasthan]

- ❖ राजस्थान के इतिहास की जानकारी हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक एवं पुरालेखीय सामग्री सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध है।
- ❖ राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 ई. में **ए.सी.एल.कार्लाइल** के निर्देशन में प्रारम्भ हुआ।
- ❖ राजस्थान में अरावली की कंदराओं जैसे—बूँदी में छाजा नदी एवं कोटा में चम्बल नदी क्षेत्र, विराटनगर (जयपुर), सोहनपुरा (सीकर), हरसौरा (अलवर) आदि स्थानों से प्रागैतिहासिक मानव के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए है।
- ❖ राज्य में प्राप्त विभिन्न शिलालेखों, पाषाण पट्टिकाओं, स्तम्भों, तामपत्रों आदि से तिथियुक्त समसामयिक जानकारी मिलती है।
- ❖ जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है, उसे **'प्रशस्ति'** कहा जाता है।

राजस्थान के महत्त्वपूर्ण शिलालेख

क्र.सं.	अभिलेख	स्थापना वर्ष	विशेष विवरण
1.	**बड़ली का शिलालेख**	443 ई.पू.	• बड़ली (**अजमेर**) से प्राप्त यह **राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख** है। अजमेर संग्रहालय में रखा यह शिलालेख **ब्राह्मी लिपि** में उत्कीर्ण है।
2.	**घोसुण्डी शिलालेख** (वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित)	द्वितीय शताब्दी ई.पू.	• यह अभिलेख **घोसुण्डी गाँव (नगरी, चित्तौड़गढ़)** से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख कई टुकड़ों में विभाजित है। इसकी भाषा **संस्कृत** एवं लिपि **ब्राह्मी** है यह सर्वप्रथम डी.आर. भण्डारकर द्वारा पढ़ा गया। • भागवत धर्म से सम्बन्धित इस शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा तथा गजवंश के **सर्वतात** द्वारा **अश्वमेघ यज्ञ** करने का उल्लेख है।
3.	**बसंतगढ़ शिलालेख**	625 ई.	• सिरोही के बसतंगढ़ से प्राप्त इस शिलालेख में 'राजस्थानीयदित्य' शब्द का प्रयोग मिलता है।
4.	**अपराजित का शिलालेख**	661 ई.	• **दामोदर** द्वारा रचित इस शिलालेख में गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। (नागदा मेवाड़ से प्राप्त)
5.	**मानमोरी शिलालेख**	713 ई.	• यह **चित्तौड़गढ़** में **मानसरोवर झील** के किनारे **कर्नड टॉड** को प्राप्त हुआ था। इसमें चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं **मोरीवंश** के महेश्वर, भीम, भोज व राजा मान का उल्लेख है।
6.	**कणसवा शिलालेख**	738 ई.	• कोटा के कंसुआ गाँव के शिवालय में उत्कीर्ण इस लेख में **धवल** नामक **मौर्यवंशी राजा** का उल्लेख मिलता है। जो यह प्रमाणित करता है कि **मौर्यवंश का राजस्थान से सम्बन्ध** था।
7.	**घटियाला शिलालेख**	861 ई.	• **घटियाला** (जोधपुर) से प्राप्त इस अभिलेख में मण्डोर के प्रतिहार शासक कक्कुक का वर्णन है। इसमें **संस्कृत भाषा** में शिलालेख के लेखक **मग** और उत्कीर्णकर्ता **कृष्णेश्वर** का उल्लेख है।
8.	**सारणेश्वर प्रशस्ति**	953 ई.	• **उदयपुर के सारणेश्वर मन्दिर** से प्राप्त इस प्रशस्ति से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि विषय में पता चलता है।
9.	**हर्षनाथ प्रशस्ति**	973 ई.	• **सीकर के हर्षनाथ पहाड़ी** से प्राप्त इस प्रशस्ति में **चौहानों का वंशक्रम** एवं **उपलब्धियों** का वर्णन है।
10.	**किराड़ू शिलालेख**	1161 ई.	• **बाड़मेर** के किराडू शिवमंदिर से प्राप्त इस लेख में **संस्कृत भाषा** में **परमारों की उत्पत्ति** ऋषि वशिष्ट के **आबू यज्ञ** से बताई गई है।
11.	**बिजौलिया शिलालेख** (रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं।)	1170 ई.	• यह लेख बिजौलिया कस्बे (भीलवाड़ा) के पार्श्वनाथ मंदिर की बड़ी चट्टान पर **संस्कृत भाषा** में उत्कीर्ण है। इसमें **93 पद्य** है जिनसे **चौहानों के इतिहास** की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को **वत्सगोत्रीय ब्राह्मण** बताया गया है तथा तत्कालीन कृषि, धर्म, शिक्षण व्यवस्था व प्राचीन स्थलों की जानकारी मिलती है।

3 राजस्थान के प्रमुख राजवंश [Major Dynasties of Rajasthan]

(Its rulers through the Ages and their cultural achievements : 1000-1800 AD)

हमारे प्रदेश के लिए 'राजपूताना' नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ई. में **जार्ज थॉमस** द्वारा किया गया। **कर्नल जेम्स टॉड** द्वारा 1829 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक **'एनॉल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान'** में सर्वप्रथम **'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व यह प्रदेश भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता था। आर्यों के आगमन से लेकर राजपूतों के उदय से पूर्व यहाँ विभिन्न जनपदों का शासन रहा। 7वीं शताब्दी से यहाँ अनेक क्षेत्रीय राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिसका प्रमुख कारण हर्षवर्धन की मृत्यु (747 ई.) के बाद भारत की राजनीतिक एकता का समाप्त होना था।

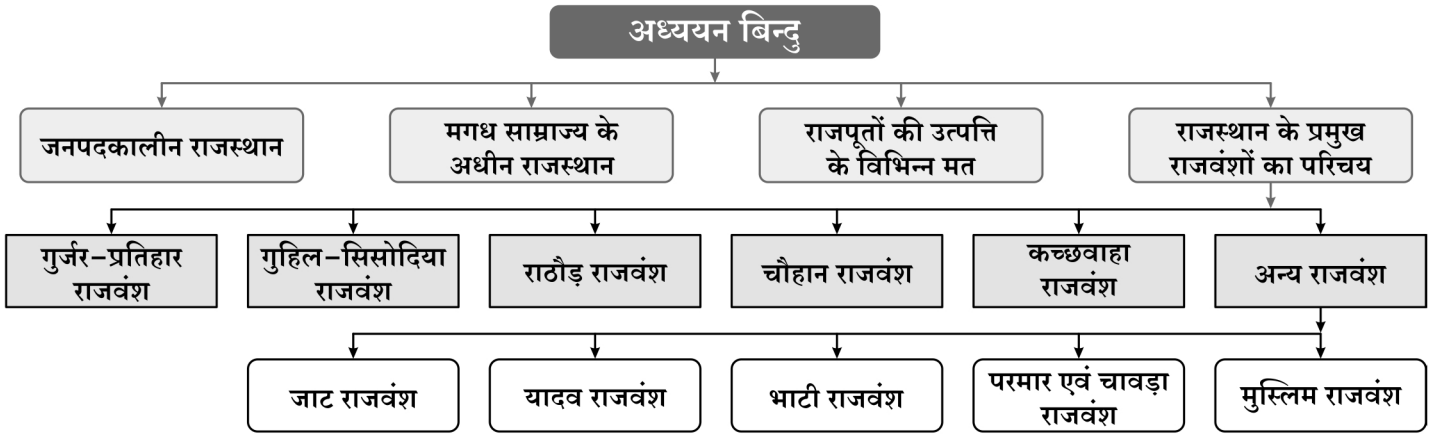

जनपदकालीन राजस्थान

- आर्यों के प्रसार के अंतर्गत एवं उसके पश्चात् भारत के अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान में भी जनपदों का उदय, विकास एवं पतन हुआ।
- बौद्ध ग्रंथ **'अंगुत्तर निकाय'** में भारत के 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है, इनमें से मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था।
- सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब की मालव, शिवि, अर्जुनायन, यौद्येय आदि जातियाँ राजस्थान में आईं और यहाँ अपने जनपद स्थापित कर लिए।

मत्स्य जनपद

- आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण और कौषीतकी उपनिषद् में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है।
- महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की है। महाभारतकाल में **राजा विराट** यहाँ का शासक था जिसकी राजधानी **विराटनगर** (बैराठ) थी, जो आधुनिक जयपुर जिले में स्थित है।
- मत्स्य जनपद कुरु जनपद के दक्षिण में एवं शूरसेन जनपद के पश्चिम में स्थित था। पश्चिम में सरस्वती तथा दक्षिण में चम्बल नदी इसकी सीमाएँ बनाती थीं।
- यद्यपि महाभारत काल के बाद मत्स्य जनपद के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती तथापि **डॉ. गोपीनाथ शर्मा** के अनुसार महाभारत के बाद कुरु व यादव जनपद निर्बल हो गए, जिनकी निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया।
- मत्स्य जनपद का अपने पड़ोसी **शाल्व जनपद** एवं **चेदी जनपद** से संघर्ष चलता रहता था।
- वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा एवं करौली जिलों के कुछ क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल थे।

शिवि जनपद

- मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम शिवि था। यह पंजाब की शिवि जाति द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी **मज्झमिका/मध्यमिका/नगरी** (चित्तौड़गढ़) थी। पतंजली के महाभाष्य एवं महाभारत दोनों ग्रंथों में 'नगरी' का उल्लेख मिलता है।
- शिवि क्षेत्र को कालांतर में **मेदपाट, प्राग्वाट** और बाद में **मेवाड़** कहा जाने लगा।

मालव जनपद

- मालव जाति का मूल स्थान रावी-चिनाब नदियों का संगम क्षेत्र था। पाणिनी के अनुसार यह एक आयुद्ध जीवि जाति थी जो सिकन्दर के आक्रमण के कारण प्रारम्भ में मालवनगर (कार्कोट नगर, जयपुर) के आस-पास बस गये, बाद में ये लोग राजपूताने के **टोंक, अजमेर** एवं **मेवाड़** क्षेत्रों में आकर बस गये।
- यहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति संगठित कर मालव जनपद की नींव रखी, जिसकी **राजधानी नगर** (टोंक) थी।
- प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मालव जनपद ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

4 मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध [Political Resistance of Rajput Rulers against Muslim Power]

(Special reference to Rattan Singh, Hammir, Kanhad dev & Maldev, Chandrasen & Pratap)

राजपूत शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध

12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी मुहम्मद गौरी ने विभिन्न युद्धों में राजपूत शासकों को पराजित कर दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त किया। 1206 ई. में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली और यहीं से दिल्ली-सल्तनत की शुरूआत हुई। दिल्ली-सल्तनत पर पाँच राजवंशों ने शासन किया-**गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश** और **लोदी वंश**। चूंकि राजपूत उत्तर भारत में महत्त्वपूर्ण शक्ति थे अतः उक्त राजवंशों का राजस्थान के राजपूतों से संघर्ष हुआ, जिनमें मेवाड़, रणथम्भौर एवं जालौर से संघर्ष इतिहास में प्रसिद्ध है।

मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से संघर्ष

- मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य संघर्ष की शुरूआत गुहिल शासक **जैत्रसिंह** (1213-1252 ई.) के समय होती है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने संभवतः 1222-1229 ई. के मध्य मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी नागदा पर आक्रमण किया।
- दरबारी इतिहासकारों के अनुसार जैत्रसिंह ने 1227 ई. के **भूताला के युद्ध** में इल्तुतमिश को पराजित किया। किन्तु सुल्तान के आक्रमण से नागदा को भारी क्षति हुई, इस कारण जैत्रसिंह ने नागदा के स्थान पर **चित्तौड़गढ़ को राजधानी** बनाया।
- जैत्रसिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली के सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा।
- जैत्रसिंह के उत्तराधिकारी **तेजसिंह** के काल में 1253-54 ई. में बलबन (सेनापति के रूप में) ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किन्तु उसे असफल होकर वापस लौटना पड़ा।
- तेजसिंह के बाद उसका पुत्र **समरसिंह** मेवाड़ का शासक बना। '**तीर्थकल्प**' के अनुसार 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान समरसिंह ने मेवाड़ की भूमि से होकर गुजरने पर शाही सेना से '**दण्ड**' (एक कर) वसूल किया था।

रावल रतनसिंह और अलाउद्दीन खिलजी

- समरसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रावल रतनसिंह (1302-1303 ई.) मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। उसके समय मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—
  - (i) **अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा**—अलाउद्दीन खिलजी सिकन्दर-ए-सानी (सिकन्दर के समान विश्व विजेता) बनना चाहता था और चित्तौड़ पर आक्रमण इसी महत्त्वाकांक्षी नीति का भाग था।

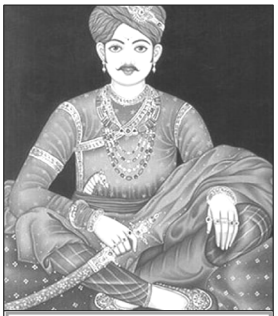

रावल रतन सिंह

  - (ii) **मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति**—जैत्रसिंह, तेजसिंह और समरसिंह के समय मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही थी।
  - (iii) **चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्त्व**—दिल्ली से मालवा, गुजरात तथा दक्षिण भारत जाने का प्रमुख मार्ग चित्तौड़ से होकर ही गुजरता था। अतः गुजरात व दक्षिण भारत पर राजनीतिक आधिपत्य रखने हेतु चित्तौड़ पर अधिकार जरूरी था।
  - (iv) **पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा**—मलिक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत्' के अनुसार अलाउद्दीन ने मेवाड़ के रतनसिंह की अति सुन्दर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था।

Note :- पद्मावत के अनुसार पद्मिनी सिंहल द्वीप (श्रीलंका) के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी, जिसका विवाह रावल रतनसिंह से हुआ था। **राघव चेतन** नामक तांत्रिक ने रतनसिंह से अपने अपमान का बदला लेने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पद्मिनी के सौन्दर्य की तारीफ की ओर उसे चितौड़ पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित किया।

- 28 जनवरी 1303 ई. को अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ की घेराबंदी की, यह घेराबंदी 8 माह तक चलती रही। इस दौरान राजपूत किले के परकोटों से मोर्चा बनाकर शाही सेना का मुकाबला करते रहे।
- कुम्भलगढ़ शिलालेखों के अनुसार इस अवधि में **सीसोदे का सामन्त लक्ष्मणसिंह** अपने सात पुत्रों सहित किले की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। (कालांतर में इसी लक्ष्मणसिंह के पौत्र हम्मीर ने आगे जाकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी और मेवाड़ का पुनरूद्धार किया)
- पद्मावत के अनुसार रतनसिंह के सेनानायकों **गोरा** व **बादल** ने 1600 राजपूत सैनिकों के साथ छद्म वेश में जाकर रतनसिंह को मुक्त करवाया।
- अगस्त 1303 ई. में रावल रतनसिंह अपने सेनानायकों गोरा व बादल सहित केसरिया जामा पहनकर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ तथा पद्मिनी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया। यह घटना चित्तौड़ का **पहला साका** कहलाती है।
- 26 अगस्त 1303 ई. को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार

5 मध्यकालीन राजवंशों की प्रशासनिक व राजव्यवस्था [Administrative and Polity of Medieval Dynasties]

गुप्तों के पतन के बाद से ही राजपूताना में अनेक स्वतंत्र राजपूत रियासतों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। मध्यकाल में इन रियासतों ने अपनी विशिष्ट प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था कायम की, जो 1947 में देश आजाद होने तक और कमोबेश रूप से राजस्थान के एकीकरण तक बनी रही। यद्यपि राजपूतों की इस व्यवस्था का विस्तृत विवरण तो नहीं मिलता तथापि तत्कालीन राजकीय दस्तावेजों, दानपत्रों एवं साहित्यक ग्रंथों आदि में यंत्र-तंत्र ऐसी व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे निम्न अध्ययन बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है।

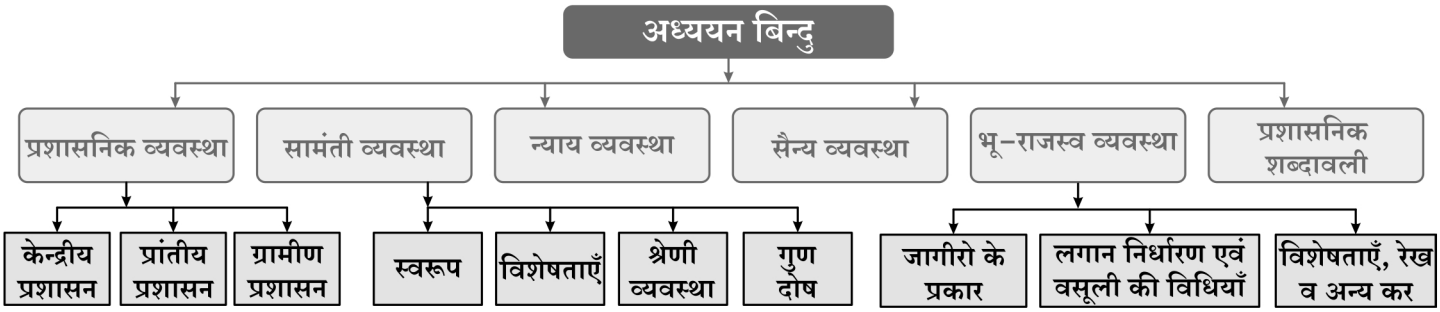

प्रशासनिक व्यवस्था

केन्द्रीय प्रशासन

राजा

- राजा सम्पूर्ण प्रशासन की धुरी या केन्द्र बिन्दु होता था। राजा स्वयं में देवत्व का अंश मानते थे एवं महाराजा, परमभट्टारक, महाराजाधिराज आदि विरुद्ध धारण करते थे।
- राजा सर्वशक्तिमान होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे मंत्रिपरिषद्, स्थानीय सरदारों, सामंतों आदि से परामर्श लेकर निर्णय करते थे, साथ ही राजपूताना के शासकों पर धर्म की मर्यादा का बंधन भी था।

युवराज

- केन्द्रीय प्रशासन में राजा के बाद युवराज का प्रमुख स्थान था, जिसे **महाराज कुमार** भी कहते थे। ये युद्ध व शांति के समय राजा का सहायक होता था।
- कभी-कभी राजा अपने जीवनकाल में ही युवराज को सत्ता सौंपकर राज-पाट से संन्यास ले लेता था। जैसे-बप्पा रावल ने राज्य खुमाण को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था।

प्रधान

- यह राजा की मंत्रिपरिषद् का मुखिया होता था एवं राजा का **मुख्य सलाहकार** होता था। इसे **दीवान, मुसाहिब** या **प्रधानमंत्री** भी कहा जाता था। राजा की अनुपस्थिति में राज्य का प्रशासन चलाने का दायित्व इसी का होता था। यह सामान्यतः सर्वप्रमुख सामंत होता था, जैसे-मेवाड़ में सलूम्बर के रावत को प्रधान का पद वंशानुगत रूप से प्राप्त था, जिसे **'भांजगड़'** कहते थे।
- जयपुर में प्रधानमंत्री को **'मुहासिब'** तथा कोटा में **'फौजदार'** या **'दीवान'** कहा जाता था।

बख्शी

- यह **सैन्य विभाग का मुखिया** होता था। इसका मुख्य कार्य सेना के लिए रसद की व्यवस्था करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना तथा सैन्य प्रशिक्षणों का निरीक्षण करना था। बख्शी की सहायता हेतु एक **नायब बख्शी** भी होता था, जिसका मुख्य कार्य सेना व किलों पर होने वाले खर्च व 'रेख' का हिसाब-किताब रखना था।

मुत्सद्दी वर्ग

- मध्यकालीन राजपूताना में प्रशासनिक कार्यों को करने हेतु मुत्सद्दी वर्ग की **पदसोपानिक व्यवस्था** थी। यह वर्ग सामान्य प्रशासन की इकाइयों जैसे- परगनों, तहसीलों, ग्रामों आदि पर नौकरशाहों की तरह नियुक्त किया जाता था।
- प्रारंभ में मुत्सद्दी का पद वंशानुगत नहीं था, किन्तु बाद में यह वंशानुगत हो गया, लेकिन इनकी जागीर वंशानुगत नहीं थी, बल्कि इनकी मृत्यु के बाद उसे 'खालसा' (राजकीय भूमि) घोषित कर दिया जाता था।

शिकदार

- यह नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था, यह गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार संबंधी कार्य देखता था। कालांतर में शिकदार का पद नगर कोतवाल के नाम से जाना गया।

संधिविग्रहिक

- इसका उल्लेख अल्लट के **'सारणेश्वर लेख'** में मिलता है। **'यशस्तिलक चम्पू'** के अनुसार संधिविग्रहिक सभी आदेशों और विदेश के लिए पत्र आदि तैयार करता था। यह कई भाषाओं व लिपियों का ज्ञाता होता था।

7 राजस्थान के लोक-देवता एवं देवियाँ
[Folk Gods and Goddesses of Rajasthan]
(Special emphasis to be paid to teachings of Ramdevji, Gogaji, Tejaji, Pabuji, Mallinath, Jasnath)

राजस्थान में ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने वीरोचित गुणों एवं दृढ़ आत्मबल से समाज को एक नई राह दिखाई और प्राणिमात्र के कल्याण की कामना करते हुए धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं महापुरुषों को कालांतर में राजस्थान की जनता ने लोक देवताओं व देवियों का दर्जा दे दिया।

राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता

रामदेवजी (1405-1458 ई.)

बाबा रामदेवजी

- राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध एवं करोड़ों लोगों के आराध्य लोकदेवता बाबा रामदेवजी का जन्म **वि.सं. 1462;** (1405 ई.) की भादवा सुदी द्वितीया को **ऊँडूकामेसर गाँव** के निकट शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ। वर्तमान में यहाँ पर बाबा का भव्य मंदिर बनाया गया है।
- ये तंवर वंशीय राजपूत थे, इनके पिता-**अजमलजी तँवर**, माता-**मैणादे**, पत्नी-**नेतलदे** और गुरु-**बालीनाथजी** थे।
- रामदेवजी को हिन्दू **'कृष्ण का अवतार'** मानते हैं और मुस्लिम इन्हें **'रामसा पीर'** कहते हैं।
- इनके **मेघवाल** भक्त **'रिखिया'** कहलाते हैं। **डालीबाई** मेघवाल इनकी धर्म-बहिन थीं।
- ये एकमात्र लोकदेवता है, जो **कवि** भी थे। इन्होंने **'चौबीस वाणियाँ'** नामक ग्रंथ लिखा और **'कामड़ पंथ'** की स्थापना की।
- कामड़ लोग **भगवा पगड़ी** बाँधते हैं एवं रामदेवजी का जागरण भजन (जम्मा) करते हैं।
- **पादरला गाँव (पाली)** के कामड़ जाति की महिला कलाकारों द्वारा **'तेरह ताली नृत्य'** किया जाता है।
- रामदेवजी दिल्ली के शासक **अनंगपाल तोमर (तँवर)** के वंशज थे।
- रामदेवजी के **पगल्यों** (पदचिह्नों) की पूजा होती है। इनके मंदिरों की पंचरंगी ध्वजा को **नेजा** कहते हैं।
- रामदेवरा (रूणेचा) गाँव में इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष **भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी** तक विशाल मेला भरता है, जो राजस्थान में **साम्प्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है।**
- भाद्रपद शुक्ल द्वितीया **'बाबेरी बीज'** (दूज) के नाम से जानी जाती है।
- रामदेव जी के चमत्कारों को **'पर्चा'** कहते हैं तथा भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन **'ब्यावले'** कहलाते हैं।
- सामान्यतः गाँवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊँचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिह्न **'पगलिये'** स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान **'थान'** कहलाते हैं।
- **1458 ई.** में भाद्रपद एकादशी को रामदेव जी ने पोकरण के निकट रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ले ली।

Note :- रामदेव जी ऐसे लोकदेवता थे, जो वीर होने के साथ-साथ समाज-सुधारक भी थे। इन्होने जाति प्रथा, मूर्तिपूजा और तीर्थयात्रा का विरोध किया।

पाबूजी (1239-1276 ई.)

- पाबूजी का जन्म **कोलूमण्ड** (जोधपुर) में **धाँधलजी राठौड़** व **कमलादे** के घर हुआ। इनका विवाह **अमरकोट** (वर्तमान पाकिस्तान) के शासक राणा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री **फूलमदे** (**सुप्यारदे**) के साथ हुआ।
- उनके बहनोई जिंदराव खींची (जायल का अधिपति) जब देवल बाई की गायों को लूटकर ले जाने लगे तब वे चँवरी में चौथा फेरा बीच में छोड़कर **गायों को बचाने** गए और **वीरगति** को प्राप्त हुए। इनकी समाधि **देचू गाँव (जोधपुर)** में है।
- देवल चारणी ने उन्हें युद्ध हेतु अपनी **'केसर कालमी'** घोड़ी दी थी।
- मारवाड़ में **ऊँट लाने का श्रेय** पाबूजी को है। ऊँट पालक राइका जाति इन्हें अपना आराध्य मानती हैं। **ऊँट के बीमार** होने पर **पाबूजी की पूजा** की जाती है।
- ग्रामीण जनमानस पाबूजी को **'लक्ष्मणजी का अवतार'** मानता है।
- वीरता, प्रतिज्ञापालन एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान देने के कारण जनमानस इन्हे लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका पूजा स्थल **कोलू (फलौदी)** में है।
- पाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के नायक भोपे **रावणहत्था** वाद्ययंत्र के साथ करते हैं। **'पाबूजी की फड़'** सबसे लोकप्रिय फड़ है। **'पाबूजी के पवाड़े' माठ** वाद्ययंत्र के साथ **रेबारी** चरवाहे गाते हैं।
- पाबूजी का प्रतीक **भाला लिए हुए अश्वारोही** है, अतः इन्हे **'पाबू भालालौ'** उपनाम से भी जानते हैं। **मेहर मुसलमान** इन्हें पीर मानते हैं।
- **कोलूमण्ड** (जोधपुर) में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का विशाल मेला भरता है।
- आशिया मोडजी का ग्रंथ **'पाबू प्रकाश'** इनकी जानकारी का प्रधान स्रोत है।

गोगाजी

- गोगाजी का जन्म **946 ई.** में **ददरेवा (चूरू)** में **जेवरसिंह चौहान** और **बाछलदे** के घर हुआ। इनकी पत्नी का नाम **केलम दे** था और इनके **गुरु गोरखनाथ** थे।
- **साँपों के देवता** के नाम से प्रसिद्ध गोगाजी का स्थान **खेजड़ी के वृक्ष** के नीचे होता है। **सर्पदंश होने पर इनकी पूजा** की जाती है।

9 राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन [Freedom Movement in Rajasthan : 1857]

10 मई, 1857 को मेरठ से शुरू हुई 1857 की क्रांति ने शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में छः सैनिक छावनियाँ मौजूद थीं जिनमें सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी से सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। इसको राजस्थान के असन्तुष्ट जमींदारों, अधिकारियों ने नेतृत्व प्रदान किया तथा जगह-जगह पर जनता ने क्रांतिकारियों का नैतिक समर्थन किया।

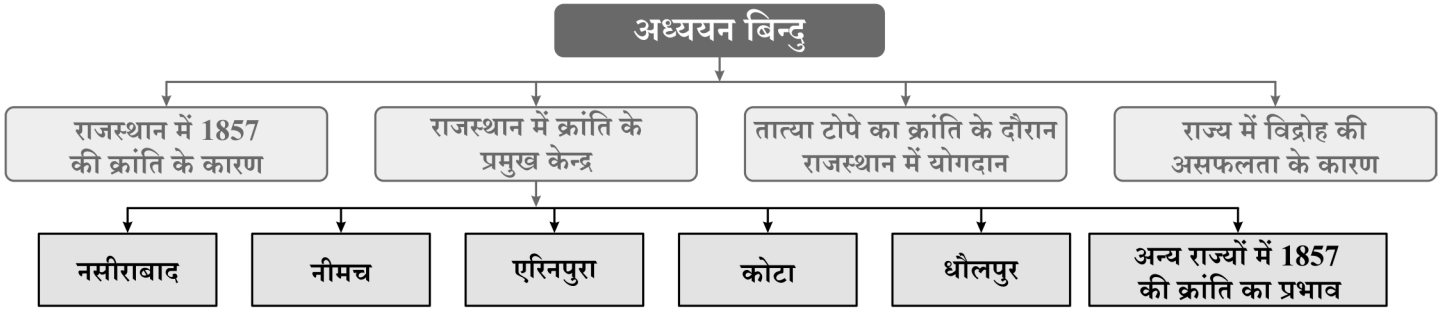

राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण

- राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज कंपनी के साथ **सहायक संधियाँ** (1817-18 ई.) करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली, किन्तु कम्पनी ने राज्यों के **आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप** करके देशी राजाओं की प्रभुसत्ता पर चोट की। जैसे-भरतपुर व अलवर के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप जयपुर व जोधपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आदि ने जनसाधारण को भी रोष से भर दिया।
- कम्पनी की नीतियों से सामन्तों की पद मर्यादा व अधिकारों को भी आघात लगा। शासकों ने अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त कर **सामन्तों के विशेषाधिकारों का अंत** कर उन पर नियंत्रण स्थापित किया।
- कम्पनी द्वारा अपनाई गई शोषणकारी आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्पी एवं मजदूर सभी वर्ग पीड़ित हुए।
- प्रशासन में व्याप्त **भ्रष्टाचार** भी एक प्रमुख कारण था।
- अंग्रेजों के द्वारा किये गये **सामाजिक सुधारों** यथा - कन्यावध, डाकन प्रथा, गुलामी प्रथा, समाधि, सतीप्रथा आदि को राजस्थान की तत्कालीन रूढ़िवादी जनता ने पसंद नहीं किया।
- कम्पनी के संरक्षण के परिणामस्वरूप शासक वर्ग अकर्मण्यः निरंकुश और अनुत्तरदायी हो गया, जिसके लिए जनता ने अंग्रेजी राज को जिम्मेदार माना।
- लोगों पर पाश्चात्य विचार एवं संस्थाएँ थोपने तथा उनके परम्परागत रीति-रिवाजों को समाप्त करने एवं **ईसाई धर्म प्रचार नीति** एवं उनके सामाजिक सुधारों आदि को जनता ने अपने धर्म व जीवन में घोर हस्तक्षेप माना।
- इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्थान में और सभी वर्गों में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी, इसलिए यहाँ भी विद्रोह प्रारंभ हुआ।
- 1857 ई. की क्रांति के समय राजस्थान का ए.जी.जी. (एजेन्ट टू द गवर्नर जनरल) **जार्ज पैट्रिक लॉरेन्स** था, जिसका कार्यालय अजमेर था एवं भारत का गवर्नर जनरल **लार्ड कैनिंग** था।
- विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, जो इस प्रकार थीं—

क्र.सं.	सैनिक बटालियन	छावनी स्थान	जिला/राज्य
1.	बंगाल नेटिव इन्फेंट्री	नसीराबाद	अजमेर
2.	मेरवाड़ा बटालियन	ब्यावर	अजमेर
3.	कोटा कन्टिलजेन्ट	देवली	टोंक
4.	मेवाड़ भीलकोर	खैरवाड़ा	उदयपुर
5.	जोधपुर लीजियन	एरिनपुरा	सिरोही
6.	नीमच छावनी	नीमच	मध्यप्रदेश

Note :- भारत में 10 मई, 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इंकार करना था। क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति के प्रतीक के रूप में **'कमल'** व **'रोटी'** को चुना गया। जिसे संदेश बनाकर सभी छावनियों में भेजा गया। मेरठ विप्लव की सूचना पैट्रिक लॉरैन्स को माउंट आबू में 19 मई को मिली। **23 मई** को उसने राजस्थान के सभी शासकों को शांति बनाये रखने एवं विद्रोहियों को अपने राज्य में प्रविष्ट न होने देने का पत्र प्रसारित किया।

- 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में नियुक्त पॉलिटिकल एजेन्ट निम्नलिखित हैं—

क्र.सं.	पॉलिटिकल एजेंट	एजेन्ट रियासत
1.	विलियम ईडन	जयपुर
2.	मेजर बर्टन	कोटा
3.	मॉक मेसन	मारवाड़ (जोधपुर)

10 राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन
[Peasants and Tribal Movements in Rajasthan]

अंग्रेजी शासन से पूर्व राजस्थान की रियासतों में राजाओं, सामन्तों एवं किसानों के संबंध परस्पर सहयोग व सद्भाव पर आधारित थे। अकाल के समय में देशी शासक लगान माफ कर दिया करते थे किन्तु 20वीं शताब्दी के पूवार्द्ध में हुई सहायक संधियों द्वारा ये देशी शासक ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को नियमित खिराज (भू-राजस्व कर) देने तथा आर्थिक शोषण की औपनिवेशिक नीति के दबाव में देशी राजाओं व जागीरदारों ने किसानों का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ और जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में अनेक किसान व जनजातीय श्रमिक आन्दोलन हुए, जिन्हें संपूर्णता में समझने हेतु निम्न बिन्दुओं का अध्ययन आवश्यक है—

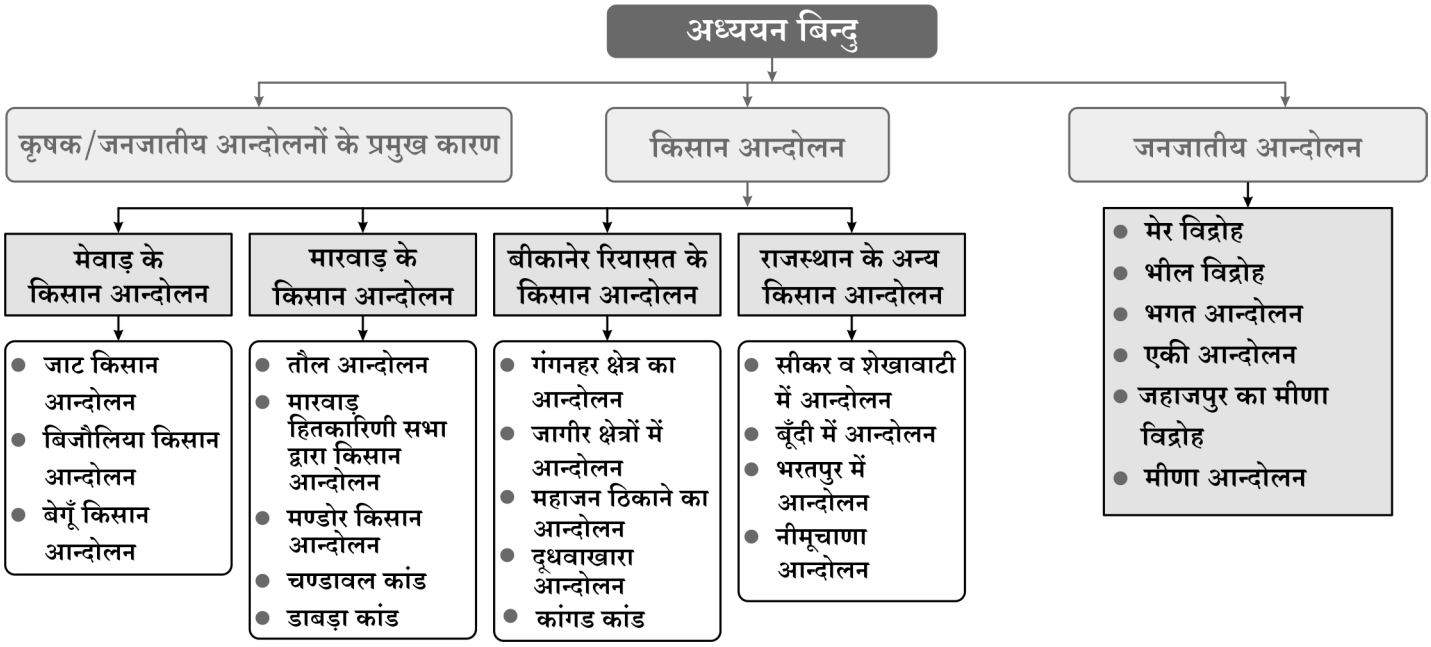

राजस्थान किसान व जनजातीय आन्दोलनों के मुख्य कारण

1. भू-राजस्व की दरों का अत्यधिक बढ़ना एवं नकद कर चुकाने के कारण महाजनों के चंगुल में फंसना।
2. जागीरदारों द्वारा अनावश्यक ली जाने वाली लाग-बाग, जबरन ली जाने वाली बेगार एवं अत्याचार।
3. ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध।
4. आदिवासियों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं में ब्रिटिश सरकारों द्वारा हस्तक्षेप करना।
5. जनजातियों के वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण।
6. ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण का प्रयास।
7. 1818 ई. की सहायक संधियों के पश्चात् देशी रियासतों की सेनाएँ भंग करने से उत्पन्न बेरोजगारी संकट।

रियासती काल में राजस्थान में प्रचलित लाग-बाग

- **तलवार बंधाई**—उत्तराधिकार के समय सामंतों द्वारा प्रजा से लिया जाने वाली लाग (कर) तलवार बंधाई कहलाती थी।
- **चंवरी लाग**—जागीर के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर जागीरदार को कर देना पड़ता था, जो चंवरी लाग कहलाता था।
- **खिचड़ी लाग**—रियासती सेना के पड़ाव के दौरान भोजन हेतु लाग।
- **कामठा लाग**—गढ़/महल आदि के निर्माण हेतु प्रत्येक घर से वसूली जाने वाली लाग।
- **हल लाग**—प्रतिहल पर किसानों से लिया जाने वाला वार्षिक लाग/कर।
- **चूड़ा लाग**—जागीरदार की पत्नी द्वारा नया चूड़ा पहनने के अवसर पर प्रजा से ली जाने वाली राशि।
- **बेगार**—बिना पारश्रिमिक के जमींदार/सामंतो के घरेलू कार्य करना।
- **कांसा लाग**—जागीरदार के ठिकाणे में गमी (शोक) के अवसर पर भोजन पकाकर पहुँचाना।
- **अखराई**—राजकोष में जमा करवाई जाने वाली राशि पर एक प्रतिशत उपकर लिया जाता था, जो अखराई कहलाता था।
- **छटून्द**—एक निश्चित नकद कर जो जागीरदारों को अंग्रेजों को चुकाना होता था। इसके कारण जागीरदारों ने किसानों से मनमाना लगान वसूला अतः किसानों में असंतोष उत्पन्न होने लगा।

16 राजस्थान में वस्त्र एवं आभूषण [Dress and Ornaments in Rajasthan]

राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण

राजस्थान में रंग-बिरंगे वस्त्रों का प्रचलन है, लेकिन 'लाल रंग' यहाँ के वस्त्रों में प्रधान है। इसीलिए कहा गया है- **''मारु धारे देश में उपजै तीन रतन, इक ढोला, दूजी मरवण, तीजों कसूमल रंग''** (कसूमल अर्थात् लाल)।

राजस्थान में पुरुषों के परिधान

- राजस्थान में कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के समय से ही 'सूती वस्त्रों' का प्रचलन था।
- यहाँ के जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। आज भी राजस्थान के प्रत्येक गाँव में **'धोती'** व ऊपर ओढ़ने के **'पछेवड़े'** के सिवा अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है।
- सर्दी में **'अंगरखी'** का प्रयोग प्राचीन परम्परा के अनुकूल है। ध्यातव्य है कि धोती घुटनों तक व अंगरखी जाँघों तक होती है।
- मुगलकाल में पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ अस्तित्व में आयीं जैसे—अटपटी, अमरशाही, उदेशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही तथा शाहजहाँनी मुख्य हैं।
- राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर पुरुषों द्वारा सिर पर **पगड़ी** पहनी जाती है जो मान-सम्मान का प्रतीक है। जैसे—विवाहोत्सव पर **'मोठड़े की पगड़ी'**, शोक के समय **सफेद पगड़ी,** श्रावण में **लहरिया**, दशहरे पर **'मदील'** नामक पगड़ी तथा होली पर फूल-पत्ती की छपाई वाली पगड़ी बाँधी जाती थी। अक्षय तृतीया पर **केसरिया पगड़ी**, वर्षा ऋतु में हरी या कसूमल पगड़ी आदि।

Note :- पगड़ी को चमकीली बनाने हेतु तुर्रे, सरपेच, बालाबन्दी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपैच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग **चीरा व फेंटा** बाँधते थे।

- वर्तमान में लगभग संपूर्ण भारत में पाश्चात्य वेशभूषा को अपना लिया गया है। फिर भी राजस्थान के कुछ पुरुष परिधान अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं जो निम्न है—
- **जामा**—शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के समय पहना जाने वाला वस्त्र।
- **चोगा**—सम्पन्न वर्ग के परिवार द्वारा प्राचीन काल में अंगरखी पर रेशमी या ऊनी चोगा पहनते थे।
- **आतमसुख**—सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र होता है, जो गले से लेकर टखनों तक लम्बा होता है।
- **कमरबंध/पटका**—अंगरखी के ऊपर कमर के आसपास बाँधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार टंगी होती है।
- **बिरजिस/ब्रीजेस**—चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र जो घुड़सवारी या शिकार के वक्त पहना जाता है।
- **पछेवड़ा**—सर्दी के दिनों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला कम्बल जैसा वस्त्र।
- **खेस**—सर्दी में पुरुषों द्वारा कन्धों पर डाला जाने वाला वस्त्र।
- **अमोवा**—खाकी रंग से मिलता-जुलता रंग का बना वस्त्र, जिसे शिकारी प्रयोग करते थे।
- **अंगरखी**—पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी कहलाता है, जिसे ग्रामीण **बुगतरी** के नाम से जानते हैं।
- **तहमद**—पुरुषों के द्वारा कमर पर बाँधा जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र, जिसे **लुंगी** भी कहते हैं।
- **मलागिरी (मलयगिरी)**—भूरे रंग में चन्दन के रंग से रंगा हुआ वस्त्र, जो वर्षों तक सुगन्धित रहता था।

Note :- सिटी पैलेस जयपुर में सवाई रामसिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित हैं।

- **जोधपुरी कोट**—जोधपुर का प्रसिद्ध कोट, जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है।
- **पटु**—पश्चिमी राजस्थान में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र है।
- **सोवड़/सौड़**—ऊन से बनी रजाई एवं गद्दे को सोवड़ कहते हैं।
- **लोई**—ऊन या सूत की बनी गर्म चद्दर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है।
- **भाकला/भाकलियो**—एक दरीनुमा वस्त्र जो ऊँट के बालों से बनाया जाता है और सर्दी से बचने के लिए पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।
- **कौपीन**—साधु सन्यासियों द्वारा पहनने का वस्त्र।
- **ढेपाड़ा**—भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती।
- **पोत्या**—भीलों के सिर का साफा, पोत्या कहलाता है।
- **पांतियो**—एक लम्बा दरीनुमावस्त्र जो जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

राजस्थान में स्त्रियों के परिधान

- **पोमचा**—पोमचे का अर्थ है- 'कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी'। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से दिया जाता है। बेटे के जन्म पर **पीला पोमचा** व बेटी के जन्म पर **गुलाबी पोमचा** देने की परम्परा है।

Note :- पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएँ करती हैं।

- **लहरिया**—श्रावण मास में महिलाओं द्वारा लहरिये की साड़ी पहनी जाती है। लहरिए एक, दो, तीन, पाँच और सात रंगों में बनते हैं। जब लहरिए की धारियाँ आपस में कटती हैं, तो उसे **'मोठड़ा'** कहते हैं।

Note :- 'समुद्र लहर' का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, इसमें चौड़ी-चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं।

20 पर्यटन एवं राजस्थान : विरासत, पर्यटन नीति व दृष्टिकोण [Tourism and Rajasthan : Heritage, Tourism Policy and Vision]

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी-विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र हैं। आँकड़ें बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु **पर्यटन विभाग** की स्थापना **1956** में की गई त था **1989** में **मोहम्मद युनुस समिति** की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, राजस्थान ऐसा करने वाला **देश का प्रथम राज्य** बना। राजस्थान में शाही रेलगाड़ियाँ, किले, महल, हवेलियाँ, झीलें, रेत के धोरे, मंदिर, अरावली के प्राकृतिक स्थल, एडवेंचर ट्यूरिज्म आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में पर्यटन का विकास महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ
- राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव/महोत्सव
- वर्ष 2022-23 में पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ
- राजस्थान के पर्यटन परिपथ
- राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र

राजस्थान में पर्यटन का विकास एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

- राजस्थान में 1956 में स्थापित '**पर्यटन विभाग**' पर्यटन की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की नोड़ल एजेन्सी है।
- **पर्यटन निदेशालय-1955** द्वारा पर्यटकों के आवास, परिवहन एवं साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है।
- राज्य में पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु **1 अप्रैल 1979** को '**राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)**' की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय-**जयपुर** है।
- RTDC का नया पर्यटन लोगो—''**राजस्थानः भारत का अतुल्य राज्य**''
- राज्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु मानव संसाधन का विकास करने हेतु 1966 में ''**राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिट्रमैन)**'' की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय भी **जयपुर** में है।
- वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राज्य पर्यटन सलाहकार मण्डल**' की स्थापना की गई।
- वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन**' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना था।
- राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन **पर्यटक पुलिस स्टेशन** खोले गए हैं—**जयपुर, उदयपुर** और **जोधपुर**।
- राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **फ्रांस** से आते हैं।
- यदि संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो **पुष्कर (अजमेर)** में सर्वाधिक पर्यटक (देशी-विदेशी) आते हैं, जबकि केवल सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **जयपुर** में आते हैं।

Note :- कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान (नवम्बर 2022 तक) **986.32 लाख** पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, जिनमें **983.24** लाख **स्वदेशी** एवं **3.08** लाख **विदेशी** पर्यटक शामिल हैं।

(स्रोत-आर्थिक समीक्षा 2022-23)

- राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शाही रेलगाड़ियों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा है—

(1) पैलेस ऑन व्हील्स

- 26 जनवरी **1982** को प्रारंभ की गई लक्जरी ट्रेन।
- **R.T.D.C** एवं भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम।
- इसका एक सप्ताह का टूर होता है, जिसका रूट निम्नानुसार हैः-**नई दिल्ली**-जयपुर-सवाई माधोपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-जैसलमेर-जोधपुर-भरतपुर-आगरा-**नई दिल्ली**।
- पैलेस ऑन व्हील्स का इंटिरियर डिजाइन '**पायल कपूर**' ने तैयार किया है।

(2) रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स

- 11 जनवरी **2009** को प्रारंभ की गई लक्जरी ट्रेन।
- R.T.D.C. एवं भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम।
- इसका भी एक सप्ताह का टूर होता है, जिसका रूट निम्नानुसार है—**नई दिल्ली**-जोधपुर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-रणथम्भौर-जयपुर-खजुराहो-वाराणसी-सारनाथ-आगरा-नई दिल्ली।

Note :- 9 सितम्बर, 2020 को राजस्थान की नई **पर्यटन नीति 2020** लागू की गई। इससे पूर्व 2001 में पर्यटन नीति लायी गई थी।

21 राजस्थान की स्थापत्य कला [Architecture of Rajasthan]

मानव सभ्यता व संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है, जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है, प्राचीन व आधुनिक इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। शायद इसीलिए राजस्थानी में कहावत प्रचलित है, **''नावं गीतड़ा नूं भीतड़ा सूं रहवे''** अर्थात् स्मृति या तो गीतों में शेष रहती है या स्थापत्य में। राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य में विविधता उत्पन्न की है, जो मंदिरों, किलों, महलों एवं हवेलियों के माध्यम से यहाँ के गौरवशाली अतीत को परिभाषित करती है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य– प्रमुख दुर्ग
- राजस्थान के प्रमुख स्मारक– महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ
- राजस्थान में मंदिर स्थापत्य– वास्तुशैलियाँ, प्रमुख मंदिर
- राजस्थान में विश्व विरासत के महत्त्वपूर्ण स्थल

राजस्थान में दुर्ग-स्थापत्य

दुर्ग शिल्प का विकास एवं प्रकार

- संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान वह प्रदेश है, जहाँ पर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ व दुर्ग बने हुए हैं।
- राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण **कालीबंगा** की खुदाई में मिलता है।
- मौर्य, गुप्त व परवर्ती युग में दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी।
- तुर्क-अफगान शासन की स्थापना के बाद 13वीं सदी से दुर्ग स्थापत्य की परम्परा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण में **सुरक्षा का विशेष** ध्यान रखा गया और दुर्ग ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर बनाए गए।
- जब मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध मधुर बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आया। तब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे-बीकानेर, जयपुर, भरतपुर आदि।
- 'शुक्रनीति' के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं—
  (1) **औदक दुर्ग (जलदुर्ग)**—जो दुर्ग विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे-गागरोण दुर्ग।
  (2) **गिरि दुर्ग**—जो ऊँचे पहाड़ पर स्थित हो, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं।
  (3) **धान्वन दुर्ग**—मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, जैसे- जैसलमेर दुर्ग।
  (4) **वन दुर्ग**—सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग, जैसे- सिवाना दुर्ग।
  (5) **पारिख दुर्ग**—जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे- भरतपुर व बीकानेर दुर्ग।
  (6) **एरण दुर्ग**—जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हों, जैसे- चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग।
  (7) **पारिध दुर्ग**—जिस दुर्ग के चारों ओर बड़ी-बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे- चित्तौड़, जैसलमेर।
  (8) **सैन्य दुर्ग**—वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों।
  (9) **सहाय दुर्ग**—जिसमें शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हों।

Note :- राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों- **चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथम्भौर, गागरोन, जैसलमेर** और **कुम्भलगढ़** को वर्ष 2013 में नोमपेन्ह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया।

राजस्थान के प्रमुख दुर्ग

चित्तौड़गढ़ दुर्ग

- 'राजस्थान का गौरव', 'गढ़ों का सिरमौर' कहा जाने वाला यह दुर्ग मध्यकाल में दिल्ली-मालवा-गुजरात मार्ग पर होने के कारण व्यापक सामरिक महत्त्व रखता था।
- 'वीर विनोद' एवं 'कुमारपाल प्रबंध' के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य शासक **चित्रांग मौर्य** ने करवाया था और इसका नाम चित्रकोट दुर्ग रखा।
- बप्पारावल ने अंतिम मौर्य शासक 'मान मोरी' को पराजित कर 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार किया।
- **'मेसा के पठार'** पर स्थित इस दुर्ग में सात अभेद्य प्रवेश द्वार हैं- पाडनपोल (प्रथम), भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोड़तापोल, लक्ष्मणपोल एवं रामपोल।
- गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग **राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट** है। इसकी प्रसिद्धि निम्न उक्ति से स्पष्ट होती है- **''गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया।''**

PART-B : राजस्थान का भूगोल [GEOGRAPHY OF RAJASTHAN]

1 राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश [Physiographic regions of Rajasthan]

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एक ओर जहाँ यह इसके गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका आकार एवं भौतिक स्वरूप अनेक भौगोलिक विशिष्टताओं को समाहित करता है। यहाँ के विशाल मरुस्थल, अरावली की शृंखलाओं, नदियों के मैदानी क्षेत्रों, झीलों, पहाड़ियों, पठारों आदि ने राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पर्यावरण को सदैव प्रभावित किया है। अतः राजस्थान की विशिष्टताओं को समझने हेतु यहाँ की भौतिक विशेषताओं, स्थिति, विस्तार एवं आकृति का संपूर्णता में अध्ययन आवश्यक है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान का निर्माण, आकार, स्थिति एवं विस्तार
- राजस्थान की सीमाएँ एवं जिलेवार विस्तार
- भौतिक विभाजन एवं विभिन्न उच्चावच
  - **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश**
    - (i) शुष्क रेतीला मरुस्थल
    - (ii) लूनी-जवाई बेसिन
    - (iii) शेखावाटी प्रदेश
    - (iv) घग्घर का मैदान
  - **अरावली पर्वतीय प्रदेश**
    - (i) दक्षिणी अरावली प्रदेश
    - (ii) मध्य अरावली प्रदेश
    - (iii) उत्तरी अरावली प्रदेश
  - **पूर्वी-मैदानी प्रदेश**
    - (i) बनास-बाणगंगा बेसिन
    - (ii) चम्बल बेसिन
    - (iii) छप्पन का मैदान (मध्य माही बेसिन)
  - **दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश**
    - (i) हाड़ौती पठार
    - (ii) विंध्यन कगार
    - (iii) शाहबाद उच्च क्षेत्र
    - (iv) झालावाड़ पठार एवं डग-गंगधार की उच्च भूमि

राजस्थान का निर्माण

- राजस्थान का मरुस्थलीय भाग एवं उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्रों का निर्माण प्राचीन **टेथिस सागर** के अवेशेषों पर हुआ है।
- उक्त क्षेत्रों को कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा गाद व मिट्टी से पाट दिया गया। राजस्थान में सांभर, डीडवाना, पचपद्रा, लूणकरणसर आज भी टेथिस सागर के अवशेष के रूप में मौजूद खारे पानी की झीले हैं।
- राजस्थान की अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पठारी भाग प्राचीन **गौंडवाना लैंड** के भू-भाग है।
- अरावली पर्वतमाला राज्य की प्रमुख **जल-विभाजक** है, जो राजस्थान को दो भागों में बाँटती है।
- अरावली पर्वतमाला **प्री-कैम्ब्रियन** युगीन वलित पर्वत शृंखला है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में विद्यमान है।
- अरावली के दक्षिण-पूर्व में हाड़ौती का पठार, मालवा के पठार का ही एक भाग है, जो लावा निर्मित है।

आकार, स्थिति एवं विस्तार

- राजस्थान की आकृति **विषमकोणीय चतुर्भुज (RHOMBUS)** के समान या पतंगाकार है।
- राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में **23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों** के मध्य एवं **69°29' से 78°17' पूर्वी देशान्तर** के मध्य स्थित है।
- राजस्थान कुल 7°09' अक्षांशों व 8°47' देशान्तरों के मध्य फैला है, अतः राज्य का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है।
- कर्क रेखा (23½° उत्तरी अक्षांश) राजस्थान के **बाँसवाड़ा-डूँगरपुर** जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लम्बाई 26 किलोमीटर है। बाँसवाड़ा में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। यह रेखा बाँसवाड़ा की **कुशलगढ़ तहसील** एवं डूँगरपुर के **चिखली गाँव** के पास से गुजरती है।

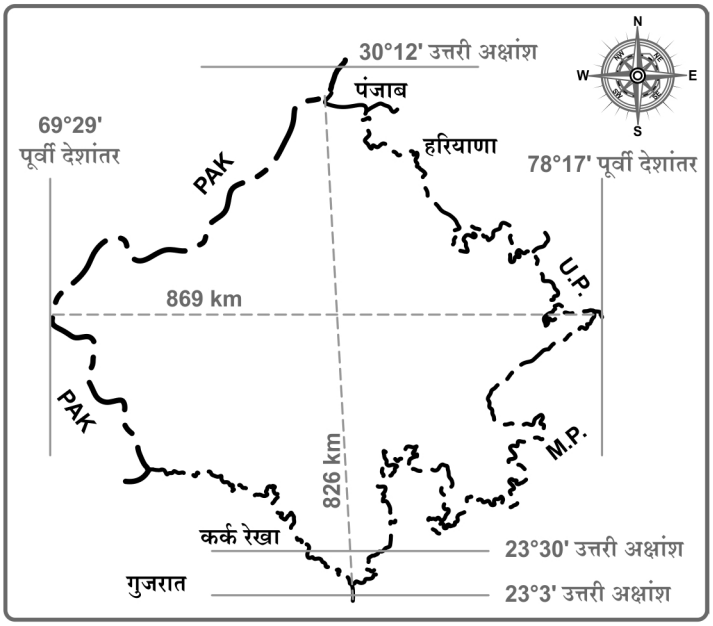

मानचित्रः राजस्थान स्थिति एवं विस्तार

3 राजस्थान की जलवायु [Climate of Rajasthan]

जलवायु एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कारक है, जो न केवल प्राकृतिक तत्त्वों को बल्कि आर्थिक एवं जनसांख्यकीय स्वरूप को भी प्रभावित करता है। राजस्थान की जलवायु **शुष्क** से **उप-आर्द्र मानसूनी** प्रकार की है। राजस्थान में जहाँ अरावली के पश्चिम में उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त **शुष्क जलवायु** (Arid Climate) है। वहीं दूसरी ओर अरावली के पूर्व में **अर्द्धशुष्क** (Semi Arid) एवं **उप-आर्द्र** (Sub-Humid) जलवायु है, जहाँ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा साथ में वायु की गति में भी कमी रहती है। सम्पूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की **'मानसूनी जलवायु'** का ही अभिन्न अंग है किन्तु विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है।

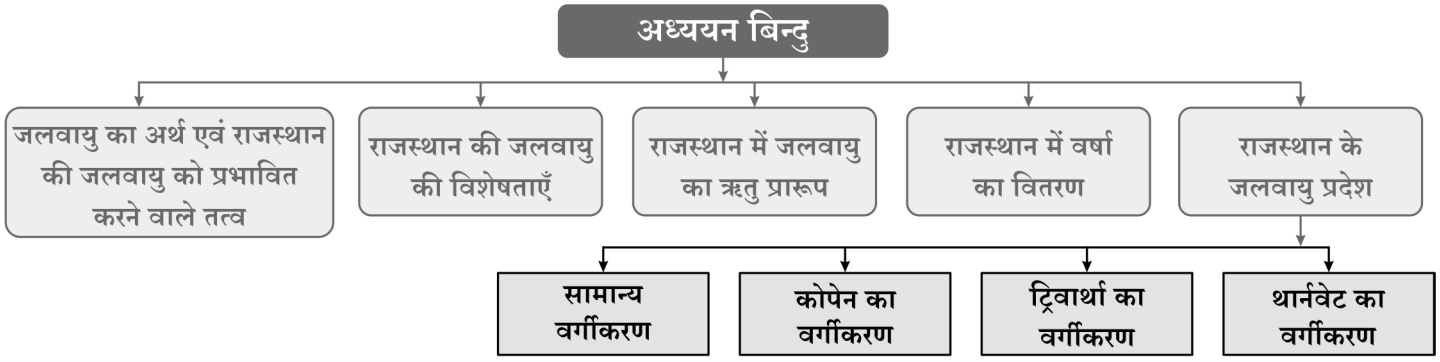

जलवायु का अर्थ

किसी विस्तृत क्षेत्र की लम्बी अवधि (सामान्यतः 30 वर्ष से अधिक) की औसत मौसमी दशाओं को, उस क्षेत्र की **जलवायु** कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर किसी विशेष समय में मौसम के घटकों के संदर्भ में वायुमण्डलीय दशाओं के योग को **मौसम** कहते हैं।

राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व

(1) स्थिति

❖ अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रण तत्त्व है। राजस्थान 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 23½° उत्तरी अक्षांश (कर्क रेखा) राज्य के दक्षिणी हिस्सों डूँगरपुर-बाँसवाड़ा जिलों से गुजरती है, अतः राज्य का अधिकांश भाग **शीतोष्ण कटिबन्ध** में स्थित है। लेकिन उत्तर में हिमालय की अवस्थिति के कारण यहाँ ठण्डी हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता और अक्षांशीय दृष्टिकोण से अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद जलवायु उष्ण बनी रहती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ न्यून वर्षा ने यहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु की दशाएँ उत्पन्न की हैं।

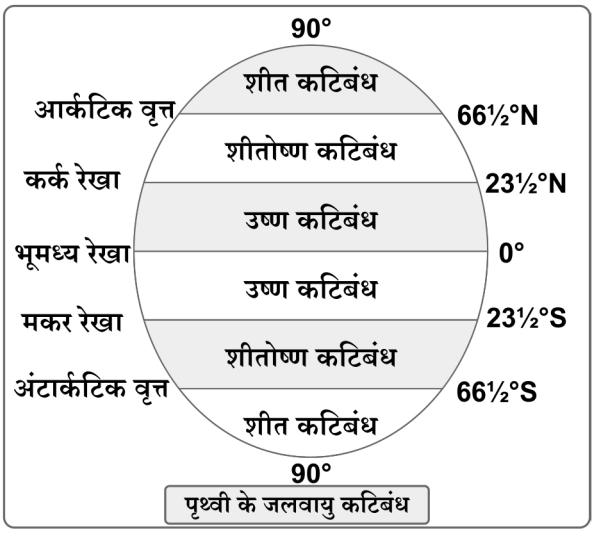

पृथ्वी के जलवायु कटिबंध

(2) समुद्र से दूरी

❖ अरब सागर का समुद्र तट राजस्थान से लगभग 350 कि.मी. दूर है, अतः यहाँ की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है और सम्पूर्ण राज्य **महाद्वीपीय जलवायु** (Continental Climate) से युक्त है, जो गर्म और शुष्क होती है एवं नमी अपेक्षाकृत कम होती है।

(3) उच्चावच

❖ उच्चावचों का जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व मानसूनी हवाओं के समानान्तर होने के कारण वे उत्तर की ओर निर्बाध निकल जाती हैं यही कारण है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी राज्य न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है।

❖ पश्चिमी मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाओं से अरावली पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान को बहुत हद तक बचाए रखती है।

❖ दक्षिणी अरावली में **आबू पर्वत** क्षेत्र ऊँचाई के कारण शेष राज्य से कम तापमान रखता है।

❖ पश्चिमी राजस्थान में विशाल थार मरुस्थल है। यहाँ दैनिक तापान्तर अधिक है। दिन में यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म एवं रात में अपेक्षाकृत ठण्डा हो जाता है।

7 राजस्थान की जनसंख्या : विशेषताएँ
[Population of Rajasthan : Characteristics]

जनसंख्या से अभिप्राय किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। जनसंख्या किसी भी देश या राज्य का महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन है एवं सामाजिक अध्ययन का आधारभूत तत्त्व है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु पर विचार किया जाता है—

अध्ययन बिन्दु

जनसंख्या का आकार वितरण एवं घनत्व	जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन	जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएँ
इसके अन्तर्गत व्यक्तियों की कुल संख्या (पुरुष, महिला व बच्चे) तथा किसी स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है।	किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समयावधि में होने वाली जनसंख्या वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है।	व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात, उनकी साक्षरता, ST/SC की संख्या, धार्मिक संरचना, आदि का अध्ययन किया जाता है।

राजस्थान की जनसंख्या का आकार एवं वितरण

- 2011 की जनगणना के अंतिम आँकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या **6,85,48,437** अंकित की गई है, जो कि भारत की जनसंख्या का **5.67%** है।
- जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का **सातवाँ** बड़ा राज्य है। राजस्थान से बड़े 6 राज्यों की स्थिति को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है—

क्र. सं.	सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य	देश की कुल जनसंख्या में योगदान
1.	उत्तर प्रदेश	16.50%
2.	महाराष्ट्र	9.28%
3.	बिहार	8.58%
4.	पश्चिम बंगाल	7.55%
5.	मध्य प्रदेश	6.00%
6.	तमिलनाडु	5.96%
7.	राजस्थान	5.67%

- राजस्थान में जनसंख्या का **वितरण अत्यधिक असमान** है, जिसका प्रमुख कारण राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं आर्थिक विकास में भिन्नता है।
- राज्य को चार भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है, जिसमें जनसंख्या का वितरण इस प्रकार है—

क्र. सं.	भौतिक प्रदेश का नाम	जनसंख्या का प्रतिशत वितरण	भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल
1.	पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश	40%	61.11%
2.	अरावली प्रदेश	10%	9%
3.	पूर्वी मैदानी प्रदेश	39%	23%
4.	दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश	11%	6.89%

क्र.सं.	राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले		
1.	जयपुर	–	66,26,178
2.	जोधपुर	–	36,87,165
3.	अलवर	–	36,74,179
4.	नागौर	–	33,07,743
5.	उदयपुर	–	30,68,420

क्र.सं.	राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले		
1.	जैसलमेर	–	6,69,919
2.	प्रतापगढ़	–	8,67,848
3.	सिरोही	–	10,36,346
4.	बूँदी	–	11,10,906
5.	राजसमंद	–	11,56,597

Note :– राज्य में **जयपुर** सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। वहीं **जैसलमेर** जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है।

- राजस्थान में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र जिला **जयपुर** है। यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का **9.67%** हिस्सा निवास करता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि **जयपुर** जिले में (124 अंको की) हुई है, जबकि न्यूनतम वृद्धि **जैसलमेर** जिले में केवल 4 अंकों की हुई है।
- राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले केवल दो जिलें हैं— **जैसलमेर** एवं **प्रतापगढ़**।

11 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ [Irrigation Projects in Rajasthan]

- राजस्थान में जल संसाधनों की कमी के कारण प्रायः सूखा या अकाल की बारंबारता रहती है, अतः राज्य सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु **1949** में 'सिंचाई विभाग' की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में **'जल संसाधन विभाग'** के रूप में जाना जाता है।
- राजस्थान में लगभग 2,23,25,051 हेक्टेयर क्षेत्र खेती युक्त है, परन्तु राज्य के आंतरिक सतही जल की क्षमता 15.86 M.A.F. है, जो राष्ट्रीय क्षमता का केवल **1.16%** है।
- राज्य में जल संसाधन विभाग के सतत् प्रयासों से वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल **39.07 लाख हैक्टेयर** क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तथा वित्तीय वर्ष **2022-23** में दिसम्बर 2022 तक 710 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है। **(स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2022-23)**
- वर्ष 2022-23 में **8 वृहद् [**नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (RWSRPD), नवनेरा बांध (E.R.C.P.), ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, पीपलखूंट एवं कालातीर लिफ्ट**] 5 मध्यम** (गरदड़ा, ताकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह) तथा **41 लघु सिंचाई परियोजनाओं** का कार्य प्रगति पर है। **(स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2022-23)**
- जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा **17 फरवरी 2010** को **'राज्य जल नीति'** को मंजूरी दी गई।
- बहु–उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने **'आधुनिक भारत का मंदिर'** कहा था।
- राजस्थान में नहरें, तालाब, कुएँ व नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, इनके द्वारा सिंचाई की प्रगति को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है–

राजस्थान में विभिन्न साधनों द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)

सिंचाई के साधन	वर्ष					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
नहरें	32.55	32.19	31.79	33.36	35.66	**34.41**
तालाब	0.67	1.05	0.68	0.35	0.79	**0.47**
नलकूप/कुएँ	71.66	72.15	72.32	74.85	79.63	**79.88**
अन्य	1.23	1.89	1.32	1.64	1.79	**1.78**
कुल सिंचित क्षेत्र	105.36	107.24	106.32	110.21	117.88	**116.55**

(स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2022-23)

Note :– राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई **श्रीगंगानगर** जिले में, कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई **जयपुर** जिले में तथा तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई **भीलवाड़ा** जिले में होती है।

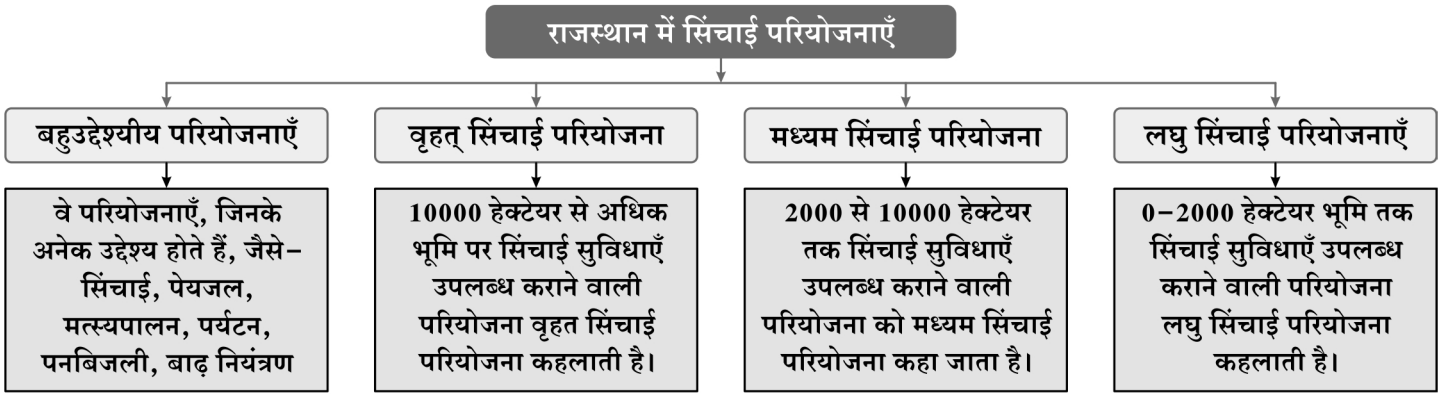

Note :– राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग **श्रीगंगानगर** जिले में तथा न्यूनतम भाग **राजसमंद** जिले में है, जबकि कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई **श्रीगंगानगर** में तथा कुल कृषि क्षेत्र के न्यूनतम भाग पर सिंचाई **चुरू** जिले में होती है।

PART-C : राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था [POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SYSTEM OF RAJASTHAN]

1 राज्यपाल [Governor]

संविधान के **भाग–6** के अन्तर्गत **अनुच्छेद 152 से 234** तक राज्य सरकार एवं उसकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। **अनुच्छेद 153** के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो उसकी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। **7वाँ संविधान संशोधन** (1956) के बाद कोई एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल केन्द्र व राज्य के बीच ऐसी कड़ी है, जिसके एक ओर राज्य के स्थानीय विकास व आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भूमिका अपेक्षित है, वहीं दूसरी और यह भी आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखेगा। अतः राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।

राज्यपाल की नियुक्ति/अर्हताएँ

- **अनुच्छेद–155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल दोहरी भूमिका में कार्य करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के साथ-साथ संघ सरकार का एजेन्ट भी होता है।
- अनुच्छेद-157 व 158 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं एवं शर्तों का होना आवश्यक है-
  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
  4. राज्यपाल नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।

शपथ

- **अनुच्छेद–159** के अनुसार राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।
- राज्यपाल के द्वारा संविधान की सुरक्षा एवं संरक्षण की शपथ ली जाती है, साथ ही वह लोगों की भलाई एवं जनकल्याण की शपथ लेता है।

कार्यकाल

- **अनुच्छेद–156** में राज्यपाल के कार्यकाल के उपबंध दिए गए हैं, जिसमें तीन बातें मुख्य हैं—
  (1) राज्यपाल **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** अपना पद धारण करेगा।
  (2) राज्यपाल की नियुक्ति **5 वर्ष** के लिए होती है, राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। ध्यातव्य है कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है।
  (3) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है।

Note :–
(1) 'राष्ट्रपति के प्रसाद' का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री या केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद से है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करना होता है।
(2) **'बी.पी.सिंघल बनाम भारत संघ 2010'** नामक मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता।

वेतन एवं भत्ते

- राज्यपाल को वह वेतन, भत्ते प्राप्त होते हैं, जो संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जायें। राज्यपाल को वर्तमान में **3 लाख 50 हजार** रुपये वेतन मिलता है।
- अगर उसे दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राज्यपाल के वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे।
- राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं।
- राज्यपाल को बिना किराया दिए शासकीय आवासों के उपयोग का हक होगा।

विशेषाधिकार

- संविधान के **अनुच्छेद 361** के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं—
  (1) राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए कभी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।
  (2) राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायपालिका में कोई **आपराधिक मामला** नहीं चलाया जाएगा।
  (3) राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई सिविल मामला चलाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए कुछ शर्तें है—
    - ऐसी व्यक्ति को अपना नाम, पता तथा राज्यपाल के विरुद्ध मामला लाने का आधार बताना होगा।
    - राज्यपाल को इस संदर्भ में लिखित सूचना देनी होगी।
    - ऐसी सूचना के बाद कम से कम **2 माह** का समय देना होगा।

Note :– उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नहीं है।

राज्यपाल की शक्तियाँ कार्य एवं भूमिका

(1) कार्यपालिकीय शक्तियाँ

- राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है,

2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद [Chief Minister and State Council of Ministers]

भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है, जो संघ सरकार में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का **वास्तविक प्रधान** होता है। राज्यों में भी केन्द्र सरकार की तरह मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अतः मुख्यमंत्री की स्थिति व कार्यों को समझने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का विशद् विवेचन करना आवश्यक है।

राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers)

- ❖ भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 163** में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया **मुख्यमंत्री** होता है।
- ❖ मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं विघटन दोनों मुख्यमंत्री पर निर्भर करते हैं क्योंकि राज्यपाल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है।

मंत्रिपरिषद की संरचना

मंत्रिपरिषद में सामान्यतः तीन प्रकार के मंत्री होते हैं— कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री।

(1) कैबिनेट मंत्री—कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अथवा केन्द्रीय भाग है, ये मंत्रिमण्डल की बैठकों में स्वभाविक रूप से भाग लेते हैं एवं महत्त्वपूर्ण विभागों के प्रधान होते हैं।

(2) राज्य मंत्री—राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है सामान्यतः बड़े मंत्रालयों में राज्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किन्तु जब राज्य मंत्री को **स्वतन्त्र प्रभार** दिया जाता है तो वह कैबिनेट मंत्री से स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है। सामान्यतः राज्य मंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों में भाग नहीं लेता है।

(3) उपमंत्री—ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। उपमंत्री मंत्रिमण्डलीय विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते अतः वे मंत्रिमण्डल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में उपमंत्री की नियुक्ति कम ही होती है।

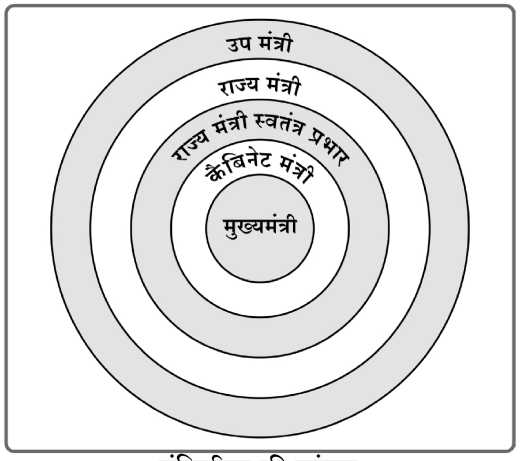

मंत्रिपरिषद की सरंचना

Note :– संसदीय सचिव—संसदीय सचिव की नियुक्ति **राज्य विधान सभाओं** में होती है। इनको मुख्यमंत्री द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता करते हैं। इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। इनकी नियुक्ति द्वारा संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि संसदीय सचिवों को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है।

मंत्रिपरिषद का आकार

- ❖ **91वाँ संविधान संशोधन 2003** के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया।
- ❖ इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार—
  - ✧ राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के **15 प्रतिशत से अधिक नहीं** होगी किन्तु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। **[अनुच्छेद 164 (क)]**
  - ✧ राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दलबदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक किया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निरर्हक होगा। **[अनुच्छेद 164 (1ख)]**
  - ✧ संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो यदि दल-बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक किया जाता है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारित करने के लिए भी निरर्हक होगा।

Note :– 91वाँ संविधान संशोधन 2003, **1 जनवरी, 2004** से लागू हुआ, इससे पूर्व मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में कोई स्पष्ट न तो नियम था और न ही कोई कानून था।

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल

- ❖ मंत्रिपरिषद का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परन्तु यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो इससे पूर्व भी मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है।
- ❖ राष्ट्रपति द्वारा **अनुच्छेद 356** का प्रयोग करके भी राज्य मंत्रिपरिषद

4 राजस्थान का उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्रणाली [High Court & Judicial System of Rajasthan]

भारतीय संविधान के **भाग–6 में अनुच्छेद 214** से **अनुच्छेद 231** तक उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से नीचे **25 उच्च न्यायालय** कार्यरत है। राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर 'राजस्थान उच्च न्यायालय' कार्यरत है।

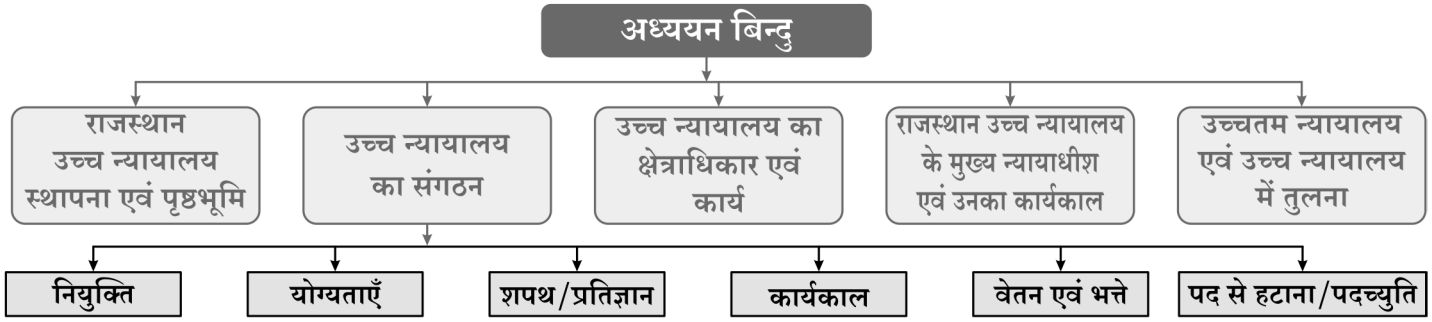

राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना एवं पृष्ठभूमि

- आजादी से पहले राजस्थान की **जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा** एवं **अलवर** रियासतों में रियासती उच्च न्यायालय कार्यरत थे।
- **'राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश–1949'** के तहत् उक्त रियासती न्यायालयों को समाप्त कर पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, जो **जोधपुर** में स्थित होगा।
- राजप्रमुख ने 25 अगस्त, 1949 को एक अधिसूचना जारी कर 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थापित करने का आदेश जारी किया।
- **29 अगस्त, 1949** को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा किया गया तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उदयपुर के रियासती उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके **कमलकांत वर्मा** को राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिन्होंने अन्य **11** न्यायाधीशों के साथ शपथ ली।
- 1 नवम्बर, 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद गठित **''पी.सत्यनारायण राव समिति''** की सिफारिश के आधार पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की **जयपुर पीठ समाप्त** कर दी गई और मुख्य पीठ जोधपुर में ही रखने का निर्णय लिया गया।
- जयपुर पीठ की समाप्ति से पूर्वी राजस्थान की जनता में भारी असंतोष था, अतः 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की **धारा–51**' के तहत् **31 जनवरी, 1977** को पुनः जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की गई।
- 1 अक्टुबर, 1952 को 'राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952' प्रभावी हुए थे।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के दो प्रमुख अंगों के रूप में कार्यरत संस्थाएँ— (1) राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर (2) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

Note :–

(1) **30 मई, 2023** को राज्यपाल कलराज मिश्र ने **जस्टिस ऑगस्टिन जार्ज मासीह** को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

(2) राजस्थान को कुल 36 न्यायक्षेत्रों में बाँटा गया है, जिसमें से 19 जोधपुर मुख्य पीठ के तथा 17 जयपुर खण्डपीठ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जयपुर खण्डपीठ के क्षेत्राधिकार में अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूँदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुँझुनूँ, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक व दौसा के कुल 17 जिला न्यायालय आते हैं। शेष जिले जोधपुर पीठ के अन्तर्गत आते हैं।

(3) वर्तमान में राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं। **जयपुर** में 3 व **जोधपुर** में 2 जिला न्यायालय हैं।

(4) राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के नए भवन का उद्घाटन **झालामंड (जोधपुर)** में 7 दिसम्बर, 2019 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा किया गया।

उच्च न्यायालय का संगठन

नियुक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद 217** के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर करता है।

5 राजस्थान के विभिन्न आयोग एवं संस्थाएँ [Various Commissions and Institutions of Rajasthan]

राजस्थान लोक सेवा आयोग [Rajasthan Public Service Commission]

- भारतीय संविधान के **भाग–14** के अन्तर्गत **अनुच्छेद 315** से **323** तक राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संविधान के **अनुच्छेद 315** के तहत् की गई है।
- राजस्थान के गठन के समय केवल 3 प्रांतों- **जयपुर, जोधपुर** एवं **बीकानेर** में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
- 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु **28वाँ अध्यादेश (Ordinance)** जारी किया गया, जिसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया।
- **20 अगस्त, 1949** को ही जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्थापना हुई तथा **22 दिसम्बर, 1949** को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद ही राजस्थान लोक सेवा आयोग विधिवत् रूप से अस्तित्व में आया।

Note :– RPSC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसम्बर, 1949 को मानी गयी है।
(स्रोत–www.rpsc.rajasthan.gov.in)

- राज्य पुनर्गठन के बाद **'सत्यनारायण राव समिति'** की सिफारिश पर आयोग का कार्यालय 1956 में अजमेर (घूघरा घाटी में) स्थानान्तरित कर दिया गया।

संगठन

- वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 7 सदस्यों सहित कुल 8 संवैधानिक पद हैं, जिनकी नियुक्ति अनु. 316 के तहत् की गई है।
  (1) श्री संजय कुमार श्रोत्रिय (अध्यक्ष)
  (2) डॉ. संगीता आर्य (सदस्य)
  (3) डॉ. जसवंत सिंह राठी (सदस्य)
  (4) श्री बाबू लाल कटारा (सदस्य)
  (5) डॉ. मंजू शर्मा (सदस्य)
  (6) Vacant
  (7) Vacant
  (8) Vacant
  (दिनांक 20 अप्रैल, 2023 की स्थिति अनुसार)
- 1949 में RPSC की स्थापना के बाद इसकी सदस्य संख्या में कई बार वृद्धि की गई, जो निम्नानुसार है—
  - 1949 — 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
  - 1968 — 1 अध्यक्ष + 3 सदस्य
  - 1973 — 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य
  - 1981 — 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य
  - 2011 — 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य

नियुक्ति

- RPSC में सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति अनु. 316 के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्य लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं से होने चाहिए एवं अन्य आधे सदस्य शिक्षाविद, समाज सेवक, वकील, राजनेता पत्रकार आदि में से हो सकते हैं।

कार्यकाल

- RPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष** या **62 वर्ष की आयु**, जो भी पहले समाप्त हो, होता है। (41वें संविधान संशोधन द्वारा 62 वर्ष आयु की गई पूर्व में यह 60 वर्ष थी।)
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत केन्द्र या राज्य की किसी भी सेवा में लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
- कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अध्यक्ष व सदस्य उसी राज्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में **सदस्य नहीं** बन सकते हैं।
- यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सदस्य या अध्यक्ष का पद ग्रहण कर सकता है।

पदमुक्ति के प्रावधान

- राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष अपना त्याग–पत्र राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- ध्यातव्य है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है।
- संविधान के **अनु. 317** के अनुसार **राष्ट्रपति द्वारा** राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को दुराचार के आधार पर हटाया जा सकता है। किन्तु इससे पहले ऐसे प्रकरण को उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाता है एवं उसकी अनुशंसा के उपरांत ही अपदस्थ किया जा सकता है।
- निम्नांकित आधारों पर ही राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य दुराचरण का दोषी ठहराया जा सकता है—
  - यदि वह शासकीय संविदा, समझौते या उनसे प्राप्त लाभ में सहभागी हो, या
  - आर्थिक लाभ प्राप्त करता हो, या
  - दिवालियापन, या

6 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) [Chief Secretary, Government Secretariat, Chief Minister's Office (CMO)]

राजस्थान के राज्य शासन सचिवालय की स्थापना **1949** में हुई। राज्य सचिवालय वह स्थान है, जहाँ शासन व प्रशासन के सत्ता-सूत्रों का संचालन होता है, यह नीति-निर्माता के रूप में राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति-क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की कार्यस्थली है। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव सचिवालय के सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है।

राज्य सचिवालय का संगठन

- राज्य सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी **मुख्यमंत्री** एवं सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी **मुख्य सचिव** होता है।
- राज्य सचिवालय में **विभिन्न विभाग** होते हैं, जैसे- ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग आदि।
- प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रमुख एक **कैबिनेट मंत्री** या राज्यमंत्री होता है तथा प्रशासनिक मुखिया एक **शासन सचिव** होता है।
- शासन सचिव की सहायता हेतु विशिष्ट सचिव या **उपसचिव** भी होते हैं।
- उपसचिव के बाद **सहायक सचिव** तत् पश्चात् **अनुभाग अधिकारी** एवं क्रमशः वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्क लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं।

Note :- राजस्थान राज्य सचिवालय भवन जयपुर के सी. स्कीम के भगवंतदास बैरेक्स में संचालित है।

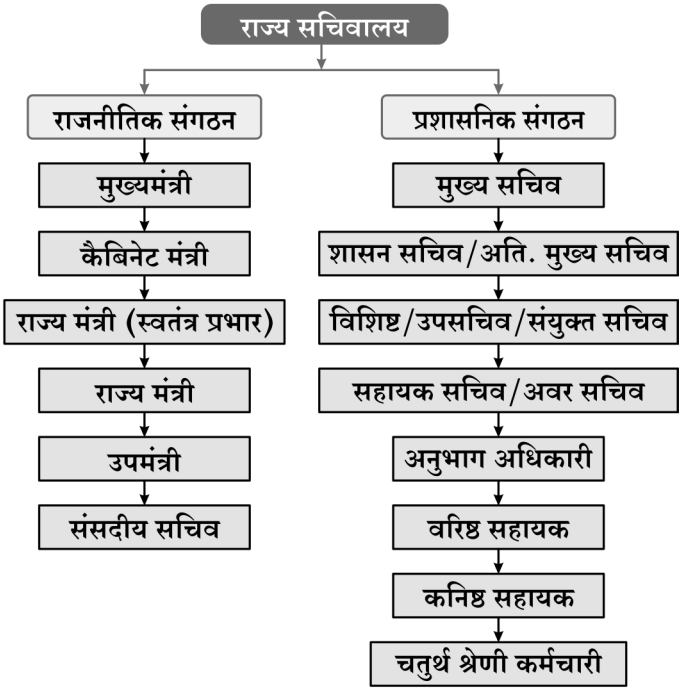

Note :- उपर्युक्त श्रृंखला के अतिरिक्त राज्य सचिवालय के अधीन कई कार्यपालक/कार्यकारी विभाग एवं निदेशालय भी होते हैं, जो सचिवालय के अंग नहीं होते हैं।

राज्य सचिवालय के कार्य एवं भूमिका

- **नीति निर्माण**—नीति-निर्माण हेतु सूचनाएँ, आंकड़े व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा जनकल्याण संबंधी नीतियों को अंतिम रूप देना।
- नीतियों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना।
- विभिन्न निदेशालयों, मंडलों, निगमों, उपक्रमों में समन्वय बनाए रखना।
- नियम निर्माण एवं नियंत्रण ताकि योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके।
- **विधायी दायित्व**—मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, नए व पुराने विधेयक, संशोधन, अध्यादेश एवं राज्यपाल के भाषण तैयार करना।
- **कार्मिक प्रशासन**—लोक सेवकों की भर्ती, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि।
- **वित्त संबंधी कार्य**—
  - बजट निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से प्राप्त आय-व्यय के अनुमानों को अध्ययन।
  - वित्त विभाग द्वारा बजट निर्माण।
  - लेखा सेवा पर नियंत्रण रखना।
  - वित्तीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।
- सामान्य प्रशासन एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रशासनिक सुधारों को लागू करना एवं उनका मूल्यांकन करना।
- केन्द्र व अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व—
  - केन्द्र द्वारा आर्थिक सुविधाएँ एवं निर्देश प्राप्त करना।
  - राज्यों के साथ जल वितरण, सीमा निर्धारण पर्यावरण एवं तस्करी नियंत्रण आदि कार्यों का प्रबंध करना।
- **प्रशासनिक नेतृत्व**—संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखना व निरीक्षण करना आदि।
- इस प्रकार राज्य का विकास व नीतियों का सफल क्रियान्वयन राज्य शासन सचिवालय के उचित देख-रेख व समन्वय से ही संभव है।

राज्य सचिवालय की आंतरिक कार्यप्रणाली

- सचिवालय कार्य नियमावली (Secretariat Manual) के दो भाग

7 संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रशासन [Divisional Commissioner & District Administration]

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्राचीन काल से ही एक महत्त्वपूर्ण इकाई रहा है। जिला प्रशासन, स्थानीय नागरिकों की आकांक्षाओं का केन्द्र बिन्दु होने के साथ-साथ संघीय व राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का व्यावहारिक अभिकरण है। जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी 'जिलाधीश' होता है, जिसे **''जिला कलेक्टर''** के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में जिला प्रशासन को संभागीय व्यवस्था के अधीन रखा गया है। अतः जिला प्रशासन को समझने हेतु इसकी अवधारणा व संगठनात्मक व्यवस्था को समझना आवश्यक है।

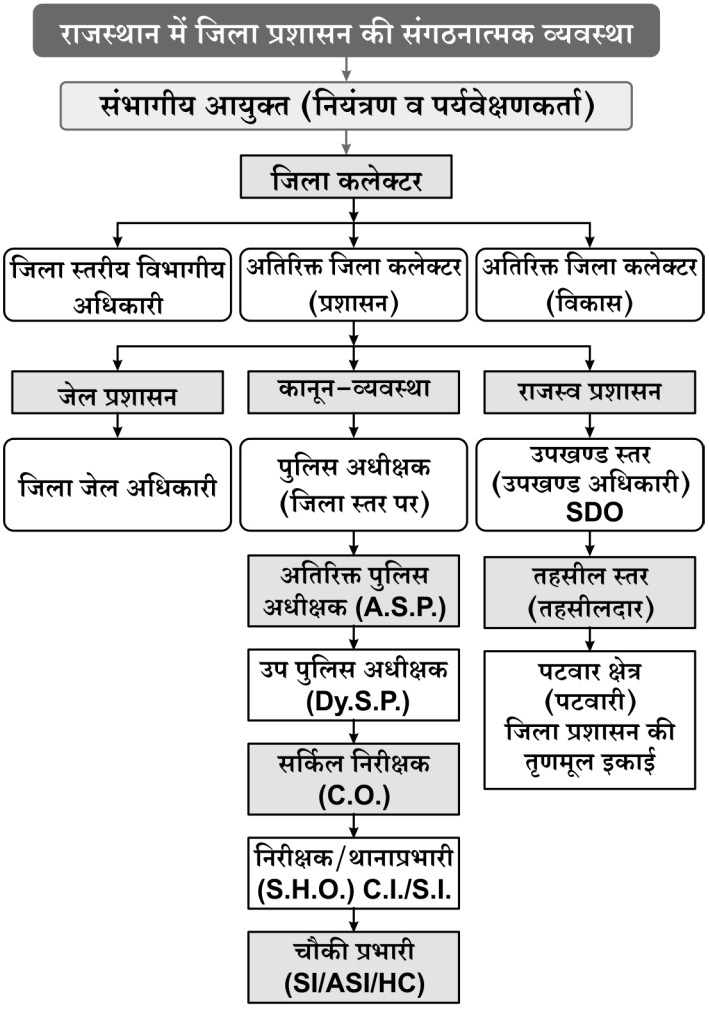

जिला प्रशासन की विशेषताएँ/लक्षण

(i) जिला प्रशासन, स्थानीय क्षेत्रों व राज्य प्रशासन के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

(ii) जिला प्रशासन के अधीन विभिन्न राजस्व, कानून व व्यवस्था एवं विकासात्मक कार्यों को निष्पादित करने वाली प्रशासनिक इकाइयाँ कार्य करती हैं।

(iii) सामान्यतः जिले का औसत क्षेत्र 4000 वर्गमील होता है।

(iv) सामान्यतः जिला प्रशासन के अधीन 10 लाख जनसंख्या होती है।

(v) जिला प्रशासन का प्रमुख **'जिला कलेक्टर'** कहलाता है, जो जिला स्तर पर सभी विभागों का मुख्य नियंत्रक एवं समन्वयक होता है।

(vi) जिला कलेक्टर सरकार की आँख, कान तथा बाँहो की भांति जिले में कार्य करता है।

(vii) प्रत्येक जिला प्रशासन एक सम्भाग की इकाई होती है, जिस पर सम्भागीय आयुक्त नियंत्रण अधिकारी होता है।

संभागीय आयुक्त

❖ संभाग स्तर का सर्वोच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है, जो निम्नलिखित कार्य करता है—

(1) संभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला प्रशासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना।

(2) संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है।

(3) जिला प्रशासन की विभिन्न इकाइयों का पर्यवेक्षण।

(4) विभिन्न केन्द्रीय व राज्य की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

(5) संभाग स्तर पर कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्यों का निष्पादन, जैसे-

- ✧ जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा भरे जाते हैं।
- ✧ राजस्व प्रशासन के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश भी संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किए जाते हैं।
- ✧ जन संपर्क द्वारा प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई।

(6) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा **75(i) च** तथा 76(ग) के अनुसार **राजस्व अपीलीय प्राधिकारी** के रूप में संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है।

(7) निम्नलिखित कानूनों से संबंधित वाद भी संभागीय आयुक्त के अधीन हैं-

- ✧ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम।
- ✧ राजस्थान भूमि भवन कर अधिनियम।
- ✧ राजस्थान नगरीय भूमि हदबंदी अधिनियम।
- ✧ राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान अधिनियम।
- ✧ राजस्थान आबकारी अधिनियम।
- ✧ राजस्थान वन अधिनियम।

PART-D : राजस्थान की अर्थव्यवस्था [ECONOMY OF RAJASTHAN]

1 राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ [Characteristics of State Economy]

(Occupatinal Distribution)

राजस्थान, जिसे 'राजाओं की भूमि' भी कहा जाता है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है, जो कि 7 संभागों और 33 जिलों में विभक्त है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.01 करोड़ अनुमानित है। जनसंख्या के आधार पर यह देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 869 कि.मी. और उत्तर से दक्षिण की ओर 826 कि.मी. है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 कि.मी. एवं अरब सागर से लगभग 400 कि.मी. दूर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। राज्य में 4 स्मार्ट सिटी जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर हैं।

राजस्थान के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएँ प्रति हजार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएँ प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2020*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	23.5	19.5
अशोधित मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	5.6	6.0
शिशु मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार जीवित जन्म	32	28
मातृ मृत्यु अनुपात	2018-20*	प्रति लाख जीवित जन्म	113	97
जन्म के समय जीवत प्रत्याशा	2016-20*	वर्ष	69.4	70.0

***SRS बुलेटिन :- भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय** (स्रोत - आर्थिक समीक्षा 2022-23)

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ तथा सिंचाई

- राजस्थान में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र अभी भी मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल जी.एस.वी.ए. में **28.95 प्रतिशत** का योगदान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है।
- राजस्थान, विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती, जैविक खेती का समर्थन करने तथा पशुपालन क्षेत्र को और मजबूत करने में सक्रिय है।
- ''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' वित्तीय वर्ष 2022-23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान 1,405 किसानों को ₹21.63 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है।

Note :- कृषि व सिंचाई संबंधी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कृषि क्षेत्र वाले अध्याय में किया गया है।

2 राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनागत प्रवृति [Compositional Trend of State Domestic Product]

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकों में से एक है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की वृहद् तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (G.S.D.P.)

- राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित है –
  (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन तथा
  (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में ₹14.14 लाख करोड़ सम्भावित है, जो कि वर्ष 2021-22 में ₹12.18 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2021-22 के 19.50 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में **16.04 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में **₹273.08 लाख करोड़** संभावित है जो **15.4 प्रतिशत की वृद्धि को** दर्शाता है।
- इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से **5.18 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है।**

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद : तुलनात्मक विवरण (प्रचलित मूल्यों पर) (₹ करोड़)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
GSDP – राजस्थान	911519	998679	1019442	1218193	1413620
वृद्धि दर (%)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
GDP – भारत	18899668	20074856	19800914	23664637	27307751
वृद्धि दर (%)	10.6	6.2	-1.4	19.5	15.4

राजस्थान के लिए वर्ष 2020-21 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2021-22-संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान अखिल भारत के लिए वर्ष 2021-22 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2022-23 प्रथम अग्रिम अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) में कीमतों पर

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की गणना की जाती है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में में वास्तविक/स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद **₹7.99 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में ₹7.39 लाख करोड़ था, जो कि वर्ष 2022-23 में **8.19 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में वास्तविक/स्थिर (2011-12) कीमतों पर **₹157.60 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जो **7.0 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से **5.07 प्रतिशत तक पहुँचने** की सम्भावना है।

7 आधारभूत संरचना का विकास [Infrastructure Development]

(Progress in National & State Highways, Power Generation, Recent Solar Power Projects)

आधारभूत संरचना का विकास आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं (विशेष रूप से सड़क और रेलवे), संचार सेवाओं (पोस्ट और दूरसंचार) और ऊर्जा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तम्भों में से एक है। प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देने में एवं परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए गए प्रमुख विकास कार्य निम्नानुसार हैं—

राजस्थान में राजमार्गों की प्रगति

- राजस्थान में वर्ष 1949 में सड़कों की लम्बाई 13,553 किमी. थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई **मार्च 2022** तक **2,78,813.23** कि.मी. हो गई है।
- स्वतंत्रता के बाद प्रमुख वर्षों में सड़कों के विकास निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है:-

वर्ष	सड़कों की कुल लम्बाई
1950-51	17,339 कि.मी.
1990-91	58,350 कि.मी.
2000-01	87,462 कि.मी.
2010-11	1,89,402 कि.मी.
2020-21	2,72,959 कि.मी.
2021-22	2,78,813 कि.मी.

- **31 मार्च, 2022** तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व **81.47 कि.मी.** है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर **165.23 कि.मी.** है।
- राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार **43,264** गाँव हैं और दिसम्बर, 2022 तक **38,239** गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, जो कि कुल गाँवों का **89.39%** है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले 1009 राजस्व गांव जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े थे, को जोड़ा जाना है, जिनमें दिसम्बर, 2022 तक **593** गांवों को जोड़ा जा चुका है।
- अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में '**वाल टू वाल विकास पथ**' का निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में निर्धारित 183 में से 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है।
- 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में **10 करोड़ रु.** की लागत से **मिसिंग लिंक** और **नॉन-पेचेबल सड़कों** का कार्य किया जाना है।
- राज्य की कुल 2,78,813.23 कि.मी. सड़कों में से 1,73,275.63 कि.मी. सड़कों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 1% सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं।

राज्य में 31 मार्च, 2022 तक सड़कों की लम्बाई

क्र. सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	10366.41	0.00	0.00	251.68	**10618.09**
2.	राज्य राजमार्ग	17180.39	4.20	6.00	47.00	**17237.59**
3.	मुख्य जिला सड़क	12972.81	17.20	92.85	188.07	13270.93
4.	अन्य जिला सड़क	43091.82	3170.50	266.98	4695.22	51224.52
5.	ग्रामीण सड़क	145049.14	5521.27	33534.37	2357.32	186762.10
महायोग		**228660.57**	**8713.17**	**33900.20**	**7539.29**	**278813.23**

(स्रोत-आर्थिक समीक्षा 2022-23)

राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

- राज्य की सड़कों में **मार्च 2022** तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई **10,618.09 कि.मी.** है। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8—यह राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो देहली से अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर होता हुआ अहमदाबाद, बड़ौदा, मुम्बई तक जाता है। राजस्थान में इसकी कुल लम्बाई 685 कि.मी. है। देहली से जयपुर तक यह मार्ग अति व्यस्त होने के कारण इसको 6 लेन (Lane) वाला बनाया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग अब **48** और **58** का भाग है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 3—जो आगरा से धौलपुर होता हुआ ग्वालियर, इन्दौर से मुम्बई तक जाता है। राजस्थान में इसका केवल 28 कि.मी. भाग है। इसका नया नम्बर 44 हो गया है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11—जो आगरा-जयपुर-बीकानेर मार्ग है, जिसकी लम्बाई 521 कि.मी. है। इस मार्ग का नया नम्बर 21, 52 और 11 है।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12—जयपुर से टोंक, देवली, बूँदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राजस्थान में इसकी

9 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ
[Socio-Economic Welfare Schemes in the State]
(Regional Economic Inequalities in Rajasthan)

राजस्थान सरकार की वर्तमान फ्लेगशिप योजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से **16 विभागों** की अंतर्निहित **33 योजनाओं/कार्यक्रमों** को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम में घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है— (स्रोत-आर्थिक समीक्षा 2022-23)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

1. **₹1 प्रति किलोग्राम गेहूँ**—**1 मार्च 2019** से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ए.ए. वाई. परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किग्रा. गेहूँ और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूँ ₹2 प्रति किलोग्राम के स्थान पर ₹1 प्रति किलोग्राम में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

2. **शुद्ध के लिए युद्ध अभियान**—राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा **26 अक्टूबर, 2020** से **'शुद्ध के लिए युद्ध'** अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं।
   - ✧ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय **गुणवत्ता नियंत्रण समिति** का गठन किया गया है।
3. **निरोगी राजस्थान अभियान**—यह अभियान राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निवारण के लिए **18 दिसम्बर, 2019** को शुरू किया गया। इस योजना के तहत् मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदूषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं।
4. **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना**—**'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना'** और **'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना'** की सीमाओं का विस्तार करने के लिए **1 मई, 2022** से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' की शुरूआत की गई।
5. **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना**—2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई। इस योजना के तहत् राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, आवश्यक दवा सूची के अनुसार, **1,594 दवाईयाँ, 928 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स सूचीबद्ध** हैं।
6. **मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना**—7 अप्रैल 2013 से लागू इस योजना के तहत् राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक जाँच की सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
7. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना**—1 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर राजस्थान राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की गई, जो राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
   - ✧ 899 निजी और 834 राजकीय अस्पतालों को इस योजना के तहत् सेवाएँ प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध किया गया है।
   - ✧ योजनान्तर्गत कुल 1633 रोग पैकेज़ की पेशकश की जाती है।

स्वायत्त शासन

8. **इंदिरा रसोई योजना**—राजस्थान सरकार ने स्व. राजीव गाँधी की जयंती पर **20 अगस्त, 2020** को राज्य के सभी 213 नगरीय स्थानीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से **'इंदिरा रसोई योजना'** का शुभारम्भ किया, जिसमें आम जनता को **₹8 प्रति थाली** में शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹17 का अनुदान दिया जा रहा है।
9. **इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना**—**'पहले आओ पहले पाओ'** के सिद्धांत पर आधारित इस योजना के तहत् शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा

10. **महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय**—राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2019-20 से कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित कर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन का प्रावधान शुरू किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 1,639 महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित है। इन विद्यालयों में 3,03,146 विद्यार्थियों का नामांकन है।
11. **मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना**—मिड-डे-मील योजना के तहत् राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन **(मंगलवार और शुक्रवार)** मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 1 किग्रा पैकिंग का दूध पाउडर ₹400 प्रति किग्रा. की दर से विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जा रहा है।
12. **मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना**—यह योजना **1 से 8वीं**

मार्गदर्शक परिचय

M.K. Yadav
(RES)

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु 'राजस्थान सामान्य ज्ञान' अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में श्री महेन्द्र कुमार यादव सर को अध्ययन-अध्यापन का विशद अनुभव है, आप जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के बिदारा गाँव के निवासी हैं, आपने राजस्थान कॉलेज जयपुर से स्नातक किया है एवं डॉ. H. J. भाभा छात्रावास (जयपुर) में रहते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एवं संस्कृति विभाग से स्नातकोत्तर किया है, आप वर्तमान में शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं।

आपकी लेखन कार्य में गहन रुचि है, आपके द्वारा लिखित ग्रेड I, II, CET, राजस्थान सार संग्रह एवं REET Mains की पुस्तकों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिए हैं, जिससे हजारों प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

Coming Soon New Edition

स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में शत प्रतिशत परिणाम देने वाली पुस्तक

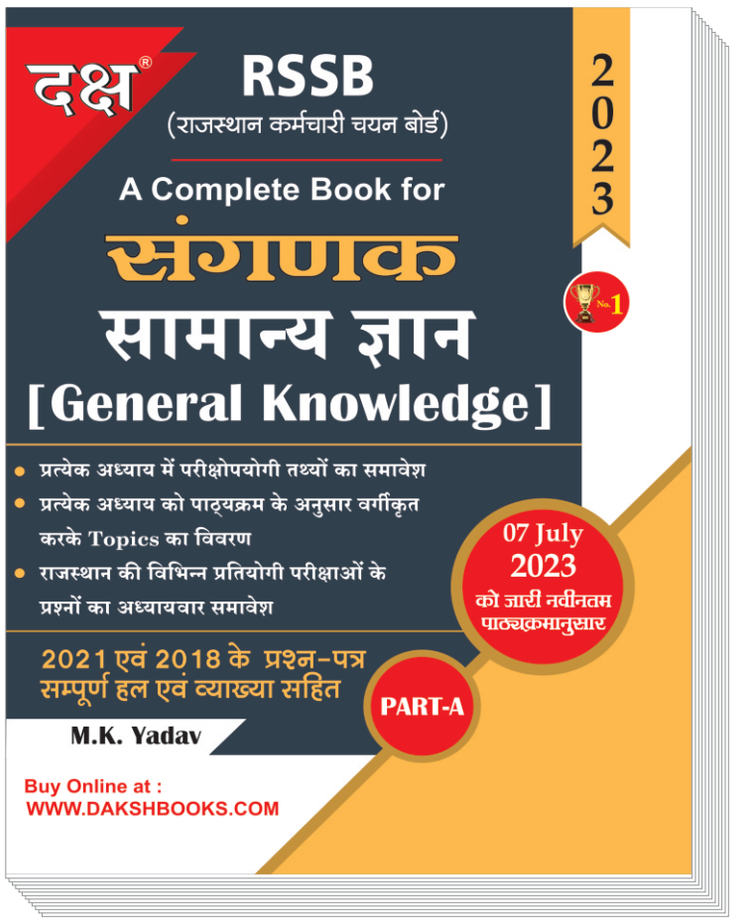

दक्ष प्रकाशन
(A Unit of College Book Centre)
A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)
फोन नं. 0141-2604302
Code No. D-705 | ₹ 880/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु
WWW.DAKSHBOOKS.COM
पर ORDER करें
★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★